



REGIONAL OFFICE,  
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
17, BHARATPURI, UJJAIN

E-mail-romppcb\_ujjain@yahoo.co.in, Phone -0734-2510984

S. No. 980 -/PCB/RO/2024.

Ujjain, Date 08/07/24

To,

Smt. Parul Bhadoriya,  
Advocate, Hon'ble N.G.T. (CZ)  
Bhopal (M.P.)

Sub: Hon'ble NGT Original Application No. 50/2024 " Prabhat Mohan Pandey Vs Union of India & Others".

---000---

Please find enclosed Joint Committee Factual & Action Taken Report in the Matter of Original Application No. 50/2024 " Prabhat Mohan Pandey Vs Union of India & Others" against Hon'ble NGT Central Bench Bhopal order dated 12 March 2024. The next hearing of case is scheduled on date 09 July 2024.

Encl:- As above

  
8/7/2024  
(H. K. Tiwari)  
Regional Officer

# **Joint Committee Factual and Action Taken Report**

*Submitted in Reference to*

**Hon'ble National Green Tribunal (NGT),  
Central Bench, Bhopal  
Order dated 12.03.2024**

*In the Matter of*

**Original Application No. 50/2024 (CZ)**

**Prabhat Mohan Pandey**

**Vs**

**Union of India &Ors.**

**Member of the Committee: -**

- 1. Shri Rajesh Mishra, Executive Engineer, SEIAA, Bhopal (M.P.).**
- 2. Dr. Rubina Choudhary, Member, MPSEAC, Bhopal (M.P.).**
- 3. Dr. Yogendra Kumar Saxena, Scientist 'C', Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Bhopal (M.P.).**
- 4. Shri H.K. Tiwari, Regional Officer, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Regional Office, Ujjain (M.P.).**

**Joint Inspection Report**  
**O.A. 50/2024(CZ)**  
**INDEX**

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Joint Committee Inspection Report	3-78
2.	Copy of Hon'ble NGT Order dated 12.03.2024	<b>Annexure – 1</b> 79-80
3.	Nomination of officials from concerning departments	<b>Annexure - 2</b> 81-84
4.	Copy of letter to complainant and attendance sheet of the participants on the day of joint inspection	<b>Annexure – 3</b> 85-86
5.	Copy of Hon'ble NGT Order dated 02-05-2024	<b>Annexure – 4</b> 87
6.	SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024	<b>Annexure – 5</b> 88-125
7.	Minutes of Meeting 823, SEIAA Dated 29-12-2023.	<b>Annexure – 6</b> 126-130
8.	Minutes of Meeting 824, SEIAA Dated 11-01-2024.	<b>Annexure – 7</b> 131-132
9.	Minutes of Meeting 842, SEIAA Dated 21-02-2024	<b>Annexure – 8</b> 133-136
10.	SEAC MoM 726 ,Dated 21/02/2024.	<b>Annexure –9</b> 137-140
11.	SEAC MoM 688 ,Dated 12/10/2023.	<b>Annexure –10</b> 141-158
12.	Minutes of Meeting 816, SEIAA Dated 09-11-2023	<b>Annexure – 11</b> 159-161
13.	Public hearing has been held for Environment Clearence (EC) of 20 mines	<b>Annexure – 12</b> 162
14.	Information regarding sand mines in Dewas district provided by Mining Officer, District Dewas	<b>Annexure – 13</b> 163

**Factual and Action Taken Report of the Joint Committee constituted by  
Hon'ble NGT (CZ) in the matter of Original Application No. 50/2024 (CZ) vide  
order dated 12-03-2024; Shayam Prabhat Mohan Pandey Vs Union of India &  
Ors.**

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal in OA No. 50/2024 vide its order dated 12-03-2024 issued following instruction in the matter of "Shayam Prabhat Mohan Pandey Vs Union of India & Ors." directed under para 1, 2,3,4,5,6 &7as:-

1. *Issue raised in this application is sand mining leases in the District Dewas, (M.P.), which were auctioned by MP State Mining Corporation in terms of Madhya Pradesh Sand (Mining) Transportation, Storage, Trading, Rules 2019 in the month of June, 2023. The contention of the applicant is that theses 28 Sand Mining Leases which were auctioned for the District of Dewas are submerged in water throughout the year therefore making it practically impossible to excavate sand from any of these 28 Mining Leases. The District administration has wrongly identified and allocated theses Sand Mines and the District Survey Report prepared for the District of Dewas also shows incorrect factual position of availability of sand in these 28 Sand Mining leases. State Mining Corporation being the custodian of these leases is creating undue influence on the State Functionaries such as MPSEIAA to grant Environment Clearance to theses leases, wherein legal procurement and extraction of sand is not possible.*
2. *A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.*
3. *Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.*
4. *Respondents are directed to submit their reply/counter affidavit through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the next date of listing.*
5. *We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:*
  - (i) *One Representative from the Madhya Pradesh State Environmental Impact Assessment Authority (MPSEIAA)*
  - (ii) *One Representative from the MPSEAC*
  - (iii) *One Representative from the Central Pollution Control Board,*
  - (iv) *One representative from the Madhya Pradesh Pollution Control Board*

6. *The Committee is directed to submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*
7. *Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and the respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an affidavit that notices and copy of the application have been served upon the committee and respondents. (Copy of Order 12.03.2024 is enclosed as **Annexure-1**)*

Accordingly, in compliance of the order of Hon'ble NGT dated 11.12.2023, a joint committee comprising of following officials from concerned departments has been constituted, the details of which are as under: (Copy of nomination letters are enclosed as **Annexure-2**)

S. No	Name of Department	Name of Committee Member
1.	One Representative from the Madhya Pradesh State Environmental Impact Assessment Authority (MPSEIAA)	Shri Rajesh Mishra Executive Engineer SEIAA Bhopal (Madhya Pradesh).
2.	One Representative from the MPSEAC	Dr. Rubina Choudhary Member, MPSEAC Bhopal (Madhya Pradesh).
3.	One Representative from the Central Pollution Control Board.	Dr. Yogendra Kumar Saxena Scientist 'C' Central Pollution Control Board, Regional Directorate Bhopal, Madhya Pradesh
4.	One representative from the Madhya Pradesh Pollution Control Board.	Shri H.K. Tiwari Regional Officer Madhya Pradesh Pollution Control Board Regional Office, Ujjain (Madhya Pradesh).

Regional office MPPCB Ujjain informed the complainant of this joint visit vide letter No. 805/प्रनिबो/ छेकारु/2024 dated 18 .06 .2024 by E-mail & Phone Call. But the complainant was not present during the date of visit. Copy of letter by MPPCB and Attendance sheet is attached as Annexure-3.

MPPCB Being the Nodal Agency in this matter, coordinated with the concerned department and fixing the date of site visit. The committee visited the site on dated 20.06.2024,21.06.2024 and 22.06.2024.

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal in OA No. 50/2024 vide its order dated 02-05-2024 has adjourned the Matter on the request of learned counsel for the respondents and scheduled to be listed on 09.07.2024. (Copy of Order dated 02-05-2024 enclosed as **Annexure-4.**)

MPPCB Being the Nodal Agency in this matter, coordinated with the concerned department and fixing the date of site visit. The committee visited the site on dated 20.06.2024,21.06.2024 and 22.06.2024.

This report is being filed by the aforementioned Joint Committee after conducting the field visits:-



## A. FACTUAL OBSERVATIONS OF SAND MINES: -


Joint Committee inspected 28 sand mines of Dewas district from 20.06.2024 to 21.06.2024.

The inspection report of each sand mining is as follows:-

### (01) Sand Mine - Bijalgaon-1

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Bijalgaon-1	
Tehsil	Khatgoan	
District	Dewas	
Survey Number	441	
Lease Area (Hectare)	2.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22°32'7.222"N	77°6'19.651"E
	22°32'11.945"N	77°6'24.460"E
	22°32'9.712"N	77°6'27.002"E
	22°32'4.989"N	77°6'22.193"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	36,000	
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024. <b>Annexure – 5</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 25% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	20 June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine - **Bijalgaon-1**




## Site Photograph During Visit



**(02) Sand Mine - Chichli-1**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Chichli-1	
Tehsil	Khategoan	
District	Dewas	
Survey Number	430	
Lease Area (Hectare)	20.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22°30`28.536"N	77°4`01.045"E
	22°30`34.472"N	77°4`16.053"E
	22°30`38.561"N	77°4`30.864"E
	22°30`45.620"N	77°4`45.744"E
	22°30`41.378"N	77°4`47.790"E
	22°30`34.198"N	77°4`32.817"E
	22°30`29.957"N	77°4`17.331"E
22°30`24.265"N	77°4`02.912"E	
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	3,42,000	
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024. <b>Annexure – 5</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	20June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine- **Chichli-1**



## Site Photograph During Visit



**(03)Sand Mine - Daiyat**

Title of details	Description		
State	MP		
Name of River	Narmada		
Village	Daiyat		
Tehsil	Khategoan		
District	Dewas		
Survey Number	227		
Lease Area (Hectare)	6.000		
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude	
	22°30'00.223"N	77°2'30.087"E	
	22°30'04.572"N	77°2'43.273"E	
	22°29'59.977"N	77°2'45.029"E	
22°29'55.628"N	77°2'31.842"E		
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited		
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal		
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual		
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	90,000		
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024. <b>Annexure – 5</b>		
Old EC transferred by MPSEIAA on	No		
New EC transferred by MPSEIAA on	No		
Consent Granted by MPPCB and validity	No		
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No		
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River		
Date of Visit of Committee	20 June 2024		

## Imagery of Site Sand Mine- **Daiyat**



## Site Photograph During Visit



**(04) Sand Mine - Kundgoan-1**

Title of details	Description		
State	MP		
Name of River	Narmada		
Village	Kundgoan-1		
Tehsil	Khategoan		
District	Dewas		
Survey Number	153		
Lease Area (Hectare)	4.000		
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude	
	22°29' 46.1766" N	76°59'58.627" E	
	22°29'46.408" N	77°0' 8.723" E	
	22° 29' 41.654" N	77°0' 8.527" E	
	22° 29' 41.980" N	76° 59' 59.356" E	
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited		
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal		
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual		
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	72,000		
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024. <b>Annexure – 5</b>		
Old EC transferred by MPSEIAA on	No		
New EC transferred by MPSEIAA on	No		
Consent Granted by MPPCB and validity	No		
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No		
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River		
Date of Visit of Committee	20 June 2024		

## Imagery of Site Sand Mine- **Kundgaon-1**



Site Photograph During Visit




**(05) Sand Mine - Kundgoan-3**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Kundgoan-3	
Tehsil	Khategoan	
District	Dewas	
Survey Number	153	
Lease Area (Hectare)	2.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22° 29' 46.208" N	77° 0' 19.431" E
	22° 29' 45.712" N	77° 0' 24.591" E
	22° 29' 45.215" N	77° 0' 29.752" E
	22° 29' 43.035" N	77° 0' 29.509" E
	22° 29' 43.532" N	77° 0' 24.348" E
22° 29' 44.028" N	77° 0' 19.188" E	
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	36,000	
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024. <b>Annexure – 5</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	20 June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine- **Kundgaon-3**



Site Photograph During Visit



**(06) Sand Mine- Kundgoan-2**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Kundgoan-2	
Tehsil	Khatgoan	
District	Dewas	
Survey Number	153	
Lease Area (Hectare)	2.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22° 29' 46.405" N	77° 0' 8.942" E
	22° 29' 46.324" N	77° 0' 14.033" E
	22° 29' 46.244" N	77° 0' 19.124" E
	22° 29' 43.909" N	77° 0' 18.891" E
	22° 29' 44.086" N	77° 0' 13.895" E
	22° 29' 44.263" N	77° 0' 8.899" E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	36,000	
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024. <b>Annexure – 5</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	20 June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine-**Kundgoan-2**



## Site Photograph During Visit




**(07)Sand Mine - Kundgoan-4**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Kundgoan-4	
Tehsil	Khategoan	
District	Dewas	
Survey Number	153	
Lease Area (Hectare)	2.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22° 29' 45.201" N	77° 0' 29.974" E
	22° 29' 44.624" N	77° 0' 35.845" E
	22° 29' 44.047" N	77° 0' 41.716" E
	22° 29' 42.132" N	77° 0' 41.498" E
	22° 29' 42.709" N	77° 0' 35.627" E
	22° 29' 43.285" N	77° 0' 29.756" E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	36000	
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024. <b>Annexure – 5</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	20June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine- **Kundgoan-4**



Site Photograph During Visit



**(08) Sand Mine - Nemavar-2**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Nemavar-2	
Tehsil	Khategoan	
District	Dewas	
Survey Number	527	
Lease Area (Hectare)	0.418	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22° 29' 44.984" N	76° 59' 34.910" E
	22° 29' 45.106" N	76° 59' 37.070" E
	22° 29' 42.779" N	76° 59' 36.911" E
	22° 29' 42.737" N	76° 59' 34.909" E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	7,524	
MPSEIAA to grant EC	Proposal not received on Parivesh Portal .	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 40% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	20 June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine-Nemavar-2



## Site Photograph During Visit



**(09)Sand Mine - Bhanjakhedi-2**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Bhanjakhedi-2	
Tehsil	Khategoan	
District	Dewas	
Survey Number	76	
Lease Area (Hectare)	4.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22° 27' 28.522" N	76° 51' 5.760" E
	22° 27' 31.562" N	76° 51' 12.874" E
	22° 27' 26.232" N	76° 51' 15.890" E
	22° 27' 23.389" N	76° 51' 8.282" E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Araera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	25,000	
MPSEIAA to grant EC	Recommended for EC in 823 SEIAA Meeting dated 29.12.23, But EC not issued due to complaint received in SEIAA 824 Dated 11.01.24. Case referred to SEAC for field Verification. Minutes of Meeting 823, SEIAA Dated 29-12-2023, <b>Annexure –6</b> and Minutes of Meeting 824, SEIAA Dated 11-01-2024. <b>Annexure –7.</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 50 % Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	20June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine- **Bhanjakhedi-2**



## Site Photograph During Visit



**(10) Sand Mine -Rawlas**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Rawlas	
Tehsil	Khategoan	
District	Dewas	
Survey Number	164	
Lease Area (Hectare)	10.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22° 26' 8.906" N	76° 48' 6.092" E
	22° 26' 14.114" N	76° 48' 14.783" E
	22° 26' 21.936" N	76° 48' 22.441" E
	22° 26' 16.897" N	76° 48' 25.495" E
	22° 26' 10.051" N	76° 48' 18.372" E
	22° 26' 4.452" N	76° 48' 8.978" E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	13,000	
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024 <b>Annexure -5</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 80% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21 <sup>st</sup> June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine - **Rawlas**



## Site Photograph During Visit



**(11) Sand Mine - Melpipliya**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Melpipliya	
Tehsil	Khatgoan	
District	Dewas	
Survey Number	105	
Lease Area (Hectare)	4.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22° 25' 45.458" N	76° 47' 26.412" E
	22° 25' 51.502" N	76° 47' 32.505" E
	22° 25' 47.705" N	76° 47' 36.575" E
	22° 25' 42.026" N	76° 47' 30.120" E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	15,000	
MPSEIAA to grant EC	SEIAA Meeting 842 <sup>nd</sup> Dated 21/02/2024, EC not granted in light of OA/2024. Minutes of Meeting 842, SEIAA Dated 21-02-2024 <b>Annexure –8</b> and SEAC MoM 726 ,Dated 21/02/2024. <b>Annexure –9.</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21 <sup>st</sup> June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine- **Melpipliya**



## Site Photograph During Visit



**(12) Sand Mine - Karondmafi**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Karondmafi	
Tehsil	Khategoan	
District	Dewas	
Survey Number	369	
Lease Area (Hectare)	6.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22°30'45.697"N	77°4'46.366"E
	22°30'51.375"N	77°4'57.686"E
	22°30'46.445"N	77°5'00.031"E
22°30'40.880"N	77°4'48.705"E	
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	2,000	
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024 <b>Annexure -5</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	20June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine- **Karondmafi**




## Site Photograph During Visit



**(13) Sand Mine Pipalneriya**

Title of details	Description
State	MP
Name of River	Narmada
Village	Pipalneriya
Tehsil	Khategoan
District	Dewas
Survey Number	221
Lease Area (Hectare)	5.000
GPS co-ordinates	Latitude
	Longitude
	22° 33' 16.317" N
	077° 07' 29.737" E
	22° 33' 24.968" N
077° 07' 38.994" E	
22° 33' 22.244" N	
077° 07' 42.102" E	
22° 33' 13.180" N	
077° 07' 33.591" E	
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	50,000
MPSEIAA to grant EC	SEIAA Meeting 842 <sup>nd</sup> Dated 21/02/2024, EC not granted in light of OA/2024. Minutes of Meeting 842, SEIAA Dated 21-02-2024 <b>Annexure –8</b> and SEAC MoM 726 ,Dated 21/02/2024. <b>Annexure –9.</b>
Old EC transferred by MPSEIAA on	No
New EC transferred by MPSEIAA on	No
Consent Granted by MPPCB and validity	No
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No
Observation of Committee	Approximately 80 % Submerged in the River
Date of Visit of Committee	20 June 2024

# Imagery of Site Sand Mine- **Pipalneriya**



## Site Photograph During Visit



**(14) Sand Mine - Bhanjakhedi-1**

Title of details	Description		
State	MP		
Name of River	Narmada		
Village	Bhanjakhedi-1		
Tehsil	Khategoan		
District	Dewas		
Survey Number	76		
Lease Area (Hectare)	0.820		
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude	
	22° 27' 37.760" N	76° 51' 40.090" E	
	22° 27' 41.450" N	76° 51' 45.540" E	
	22° 27' 42.590" N	76° 51' 44.810" E	
	22° 27' 38.880" N	76° 51' 39.120" E	
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited		
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal		
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual		
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	8,200		
MPSEIAA to grant EC	SEIAA Meeting 842 <sup>nd</sup> Dated 21/02/2024, EC not granted in light of OA/2024. Minutes of Meeting 842, SEIAA Dated 21-02-2024 <b>Annexure –8</b> and SEAC MoM 726 , Dated 21/02/2024. <b>Annexure –9.</b>		
Old EC transferred by MPSEIAA on	No		
New EC transferred by MPSEIAA on	No		
Consent Granted by MPPCB and validity	No		
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No		
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River		
Date of Visit of Committee	20 June 2024		

## Imagery of Site Sand Mine-Bhanjakhedi-1




## Site Photograph During Visit



**(15) Sand Mine - Bijalgoan-2**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Bijalgoan-2	
Tehsil	Khategoan	
District	Dewas	
Survey Number	441	
Lease Area (Hectare)	7.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22° 32' 12.669" N	77° 6' 24.988" E
	22° 32' 20.339" N	77° 6' 33.010" E
	22° 32' 28.009" N	77° 6' 41.031" E
	22° 32' 25.599" N	77° 6' 43.701" E
	22° 32' 17.930" N	77° 6' 35.679" E
	22° 32' 10.260" N	77° 6' 27.658" E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	15,000	
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024 <b>Annexure -5.</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Not Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	20June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine- **Bijalgaon-2**




## Site Photograph During Visit



**(16) Sand Mine - Chichli-2**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Chichli-2	
Tehsil	Khategoan	
District	Dewas	
Survey Number	430	
Lease Area (Hectare)	10.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22° 30' 22.185" N	77° 3' 40.964" E
	22° 30' 28.448" N	77° 4' 0.935" E
	22° 30' 23.112" N	77° 4' 2.174" E
	22° 30' 16.924" N	77° 3' 42.570" E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	60,000	
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024 <b>Annexure -5.</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	20 June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine-**Chichli-2**




## Site Photograph During Visit




**(17) Sand Mine - Nemavar-4**

Title of details	Description		
State	M.P.		
Name of River	Narmada		
Village	Nemavar-4		
Tehsil	Khategoan		
District	Dewas		
Survey Number	527		
Lease Area (Hectare)	3.784		
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude	
	22°29'45.074"N	76°59'44.134"E	
	22°29'46.049"N	76°59'51.231"E	
	22°29'39.576"N	76°59'50.543"E	
	22°29'38.742"N	76°59'43.987"E	
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited		
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal		
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual		
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	40,000		
MPSEIAA to grant EC	Proposal not received on Parivesh Portal.		
Old EC transferred by MPSEIAA on	No		
New EC transferred by MPSEIAA on	No		
Consent Granted by MPPCB and validity	No		
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No		
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River		
Date of Visit of Committee	20 June 2024		

## Imagery of Site Sand Mine - **Nemavar-4**




## Site Photograph During Visit



**(18) Sand Mine - Nemavar-5**

Title of details	Description		
State	M.P.		
Name of River	Narmada		
Village	Nemavar-5		
Tehsil	Khategoan		
District	Dewas		
Survey Number	527		
Lease Area (Hectare)	3.784		
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude	
	22°29'45.981"N	76°59'51.364"E	
	22°29'46.596"N	76°59'58.363"E	
	22°29'40.376"N	76°59'57.592"E	
	22°29'39.751"N	76°59'50.737"E	
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited		
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal		
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual		
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	68,112		
MPSEIAA to grant EC	Proposal not received on Parivesh Portal.		
Old EC transferred by MPSEIAA on	No		
New EC transferred by MPSEIAA on	No		
Consent Granted by MPPCB and validity	No		
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No		
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River		
Date of Visit of Committee	20 June 2024		

## Imagery of Site Sand Mine-Nemavar-5




## Site Photograph During Visit



**(19) Sand Mine - Gajanpur-4**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Gajanpur-4	
Tehsil	Khategoan	
District	Dewas	
Survey Number	55	
Lease Area (Hectare)	2.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22°29' 31.480"N	76°58' 07.160"E
	22°29' 31.580"N	76°58' 12.060"E
	22°29' 36.010"N	76°58' 11.790"E
	22°29' 36.130"N	76°58' 06.750"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	36,000	
MPSEIAA to grant EC	Rejected due to Major bridge situated 600 m away from mining area. Minutes of Meeting 816, SEIAA Dated 09-11-2023 <b>Annexure -11</b> and SEAC MoM 688 , Dated 12/10/2023. <b>Annexure -10.</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 80% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	20 June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine - Gajanpur-4



## Site Photograph During Visit



**(20) Sand Mine Gajanpur-5**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Narmada	
Village	Gajanpur-5	
Tehsil	Khategoan	
District	Dewas	
Survey Number	55	
Lease Area (Hectare)	2.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22°29'31.310"N	76°58'2.110"E
	22°29'31.490"N	76°58'6.950"E
	22°29'36.100"N	76°58'6.630"E
	22°29'36.100"N	76°58'1.760"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	36,000	
MPSEIAA to grant EC	Rejected due to Major bridge situated 600 m away from mining area. Minutes of Meeting 816, SEIAA Dated 09-11-2023 <b>Annexure -11</b> and SEAC MoM 688 , Dated 12/10/2023. <b>Annexure -10.</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	20 June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine - Gajanpur-5




## Site Photograph During Visit



## (21) Sand Mine - Pirpadliya

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Kalisindh	
Village	Pirpadliya	
Tehsil	Sonkatch	
District	Dewas	
Survey Number	1 & 58	
Lease Area (Hectare)	6.700	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	23°10'31.393"N	76°25'25.337"E
	23°10'37.854"N	76°25'24.548"E
	23°10'44.338"N	76°25'25.063"E
	23°10'50.564"N	76°25'27.093"E
	23°10'56.190"N	76°25'30.611"E
	23°11'00.780"N	76°25'35.605"E
	23°11'03.788"N	76°25'41.837"E
	23°11'01.797"N	76°25'48.532"E
	23°10'55.661"N	76°25'51.947"E
	23°10'55.746"N	76°26'00.487"E
	23°10'55.167"N	76°26'00.872"E
	23°10'53.926"N	76°25'53.968"E
	23°10'58.722"N	76°25'49.219"E
	23°11'03.102"N	76°25'46.280"E
	23°11'00.143"N	76°25'37.381"E
	23°10'55.934"N	76°25'32.016"E
	23°10'50.324"N	76°25'28.466"E
	23°10'44.009"N	76°25'26.783"E
23°10'37.552"N	76°25'25.949"E	
23°10'31.544"N	76°25'26.582"E	
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	10,000	
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024 <b>Annexure -5</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Not Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	22 <sup>nd</sup> June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine - Pirpadliya




## Site Photograph During Visit



**(22) Sand Mine - Surjana**

Title of details	Description		
State	MP		
Name of River	Kalisindh		
Village	Surjana		
Tehsil	Sonkatch		
District	Dewas		
Survey Number	1 & 279		
Lease Area (Hectare)	3.500		
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude	
	23° 8' 57.466" N	76° 24' 52.868" E	
	23° 9' 02.473" N	76° 24' 57.354" E	
	23° 9' 08.602" N	76° 24' 59.704" E	
	23° 9' 14.955" N	76° 25' 01.202" E	
	23° 9' 20.592" N	76° 25' 02.052" E	
	23° 9' 20.460" N	76° 25' 03.504" E	
	23° 9' 14.031" N	76° 25' 02.456" E	
	23° 9' 07.639" N	76° 25' 01.168" E	
	23° 9' 01.585" N	76° 24' 58.601" E	
23° 8' 56.488" N	76° 24' 54.246" E		
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited		
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal		
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual		
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	2,350		
MPSEIAA to grant EC	SEIAA Meeting 842 <sup>nd</sup> Dated 21/02/2024, EC not granted in light of OA 50/2024. SEAC MoM 726 ,Dated 21/02/2024, <b>Annexure –9</b> and Minutes of Meeting 842, SEIAA Dated 21-02-2024 <b>Annexure –8.</b>		
Old EC transferred by MPSEIAA on	No		
New EC transferred by MPSEIAA on	No		
Consent Granted by MPPCB and validity	No		
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No		
Observation of Committee	Not Submerged in the River		
Date of Visit of Committee	22 <sup>nd</sup> June 2024		

## Imagery of Site Sand Mine-Surjana




## Site Photograph During Visit



**(23) Sand Mine - Patadiyataj**

Title of details	Description		
State	MP		
Name of River	Kalisindh		
Village	Patadiyataj		
Tehsil	Sonkatch		
District	Dewas		
Survey Number	1		
Lease Area (Hectare)	4.000		
GPS co-ordinates	<b>Latitude</b>	<b>Longitude</b>	
	23° 5' 11.500" N	76° 21' 45.406" E	
	23° 5' 18.299" N	76° 21' 47.099" E	
	23° 5' 24.764" N	76° 21' 45.737" E	
	23° 5' 31.250" N	76° 21' 46.231" E	
	23° 5' 37.647" N	76° 21' 47.494" E	
	23° 5' 44.032" N	76° 21' 48.822" E	
	23° 5' 49.470" N	76° 21' 52.675" E	
	23° 5' 55.761" N	76° 21' 57.495" E	
	23° 5' 55.451" N	76° 21' 58.029" E	
	23° 5' 50.245" N	76° 21' 53.817" E	
	23° 5' 44.872" N	76° 21' 49.860" E	
	23° 5' 38.456" N	76° 21' 48.714" E	
	23° 5' 32.164" N	76° 21' 46.941" E	
	23° 5' 25.692" N	76° 21' 46.257" E	
	23° 5' 23.227" N	76° 21' 48.367" E	
23° 5' 16.725" N	76° 21' 48.474" E		
23° 5' 11.017" N	76° 21' 47.395" E		
<b>Contractor</b>	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited		
<b>Address</b>	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal		
<b>Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan</b>	Manual		
<b>Sanctioned Production Capacity (M<sup>3</sup>/year)</b>	1,080		
<b>MPSEIAA to grant EC</b>	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024 <b>Annexure -5.</b>		
<b>Old EC transferred by MPSEIAA on</b>	No		
<b>New EC transferred by MPSEIAA on</b>	No		
<b>Consent Granted by MPPCB and validity</b>	No		
<b>Consent issued for storage MPPCB and Validity by</b>	No		
<b>Observation of Committee</b>	Approximately 10% Submerged in the River		
<b>Date of Visit of Committee</b>	22 <sup>nd</sup> June 2024		

## Imagery of Site Sand Mine - Patadiyataj




## Site Photograph During Visit



## (24) Sand Mine - Kalukhedi

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Kalisindh	
Village	Kalukhedi	
Tehsil	Sonkatch	
District	Dewas	
Survey Number	6, 224, 271, 576	
Lease Area (Hectare)	9.220	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	23° 2' 46.108" N	76° 20' 41.442" E
	23° 2' 51.769" N	76° 20' 44.898" E
	23° 2' 57.928" N	76° 20' 47.154" E
	23° 3' 04.340" N	76° 20' 48.319" E
	23° 3' 10.774" N	76° 20' 49.337" E
	23° 3' 16.561" N	76° 20' 52.541" E
	23° 3' 22.064" N	76° 20' 56.285" E
	23° 3' 28.206" N	76° 20' 58.590" E
	23° 3' 34.702" N	76° 20' 58.272" E
	23° 3' 40.761" N	76° 20' 55.721" E
	23° 3' 46.991" N	76° 20' 53.708" E
	23° 3' 53.216" N	76° 20' 51.676" E
	23° 3' 59.601" N	76° 20' 50.346" E
	23° 4' 06.096" N	76° 20' 50.667" E
	23° 4' 12.127" N	76° 20' 51.738" E
	23° 4' 11.952" N	76° 20' 52.722" E
	23° 4' 05.504" N	76° 20' 51.811" E
	23° 3' 59.021" N	76° 20' 52.051" E
	23° 3' 52.668" N	76° 20' 53.612" E
	23° 3' 46.330" N	76° 20' 55.181" E
	23° 3' 40.086" N	76° 20' 57.146" E
	23° 3' 33.921" N	76° 20' 59.376" E
23° 3' 27.419" N	76° 20' 59.524" E	
23° 3' 21.407" N	76° 20' 56.848" E	
23° 3' 15.753" N	76° 20' 53.378" E	
23° 3' 09.755" N	76° 20' 50.663" E	
23° 3' 03.332" N	76° 20' 49.566" E	
23° 2' 57.012" N	76° 20' 47.914" E	
23° 2' 50.973" N	76° 20' 45.309" E	
23° 2' 45.890" N	76° 20' 41.871" E	
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	1,000	
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024 <b>Annexure –5.</b>	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No	
Observation of Committee	Approximately 20% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	22 <sup>nd</sup> June 2024	

## Imagery of Site Sand Mine-Kalukhedi



## Site Photograph During Visit




**(25) Sand Mine -Jaleriya**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Kalisindh	
Village	Jaleriya	
Tehsil	Sonkatch	
District	Dewas	
Survey Number	1, 39&40	
Lease Area (Hectare)	4.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	22° 54' 32.271" N	76° 20' 21.313" E
	22° 54' 38.649" N	76° 20' 22.680" E
	22° 54' 45.127" N	76° 20' 22.067" E
	22° 54' 51.603" N	76° 20' 21.427" E
	22° 54' 57.676" N	76° 20' 18.920" E
	22° 55' 03.283" N	76° 20' 15.365" E
	22° 55' 09.029" N	76° 20' 12.077" E
	22° 55' 15.530" N	76° 20' 12.222" E
	22° 55' 20.518" N	76° 20' 16.726" E
	22° 55' 25.767" N	76° 20' 20.870" E
	22° 55' 32.122" N	76° 20' 22.355" E
	22° 55' 34.284" N	76° 20' 23.023" E
	22° 55' 27.806" N	76° 20' 22.412" E
	22° 55' 21.924" N	76° 20' 19.420" E
	22° 55' 17.440" N	76° 20' 14.336" E
	22° 55' 11.349" N	76° 20' 11.875" E
	22° 55' 05.534" N	76° 20' 15.017" E
	22° 55' 00.025" N	76° 20' 18.742" E
	22° 54' 53.908" N	76° 20' 21.129" E
22° 54' 47.550" N	76° 20' 22.606" E	
22° 54' 41.057" N	76° 20' 22.983" E	
22° 54' 34.575" N	76° 20' 22.425" E	
22° 54' 32.210" N	76° 20' 21.763" E	
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned	7,088	

Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	
MPSEIAA to grant EC	Recommended for EC in 823 SEIAA Meeting dated 29.12.23, But EC not issued due to complaint received in SEIAA 824 Dated 11.01.24. Case referred to SEAC for field Verification. Minutes of Meeting 823, SEIAA Dated 29-12-2023 <b>Annexure –6</b> and Minutes of Meeting 824, SEIAA Dated 11-01-2024. <b>Annexure –7.</b>
Old EC transferred by MPSEIAA on	No
New EC transferred by MPSEIAA on	No
Consent Granted by MPPCB and validity	No
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No
Observation of Committee	Approximately 10% Submerged in the River
Date of Visit of Committee	22 <sup>nd</sup> June 2024

## Imagery of Site Sand Mine-Jaloriya



## Site Photograph During Visit




**(26) Sand Mine - Jivajigadh**

Title of details	Description	
State	MP	
Name of River	Kalisindh	
Village	Jivajigadh	
Tehsil	Tonkkhurd	
District	Dewas	
Survey Number	1117	
Lease Area (Hectare)	4.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	23 <sup>o</sup> 5`56.075"N	76 <sup>o</sup> 21`56.141"E
	23 <sup>o</sup> 6`02.538"N	76 <sup>o</sup> 21`58.973"E
	23 <sup>o</sup> 6`08.013"N	76 <sup>o</sup> 22`02.766"E
	23 <sup>o</sup> 6`10.974"N	76 <sup>o</sup> 22`08.469"E
	23 <sup>o</sup> 6`10.030"N	76 <sup>o</sup> 22`08.991"E
	23 <sup>o</sup> 6`11.622"N	76 <sup>o</sup> 22`12.683"E
	23 <sup>o</sup> 6`12.471"N	76 <sup>o</sup> 22`12.208"E
	23 <sup>o</sup> 6`15.673"N	76 <sup>o</sup> 22`18.327"E
	23 <sup>o</sup> 6`17.168"N	76 <sup>o</sup> 22`25.149"E
	23 <sup>o</sup> 6`17.728"N	76 <sup>o</sup> 22`30.050"E
	23 <sup>o</sup> 6`17.115"N	76 <sup>o</sup> 22`37.048"E
	23 <sup>o</sup> 6`18.235"N	76 <sup>o</sup> 22`43.632"E
	23 <sup>o</sup> 6`20.500"N	76 <sup>o</sup> 22`46.244"E
	23 <sup>o</sup> 6`24.096"N	76 <sup>o</sup> 22`52.166"E
	23 <sup>o</sup> 6`31.786"N	76 <sup>o</sup> 22`54.122"E
	23 <sup>o</sup> 6`31.397"N	76 <sup>o</sup> 22`54.738"E
	23 <sup>o</sup> 6`25.113"N	76 <sup>o</sup> 22`52.940"E
	23 <sup>o</sup> 6`20.336"N	76 <sup>o</sup> 22`48.170"E
	23 <sup>o</sup> 6`17.140"N	76 <sup>o</sup> 22`42.049"E
	23 <sup>o</sup> 6`16.729"N	76 <sup>o</sup> 22`35.034"E
23 <sup>o</sup> 6`16.587"N	76 <sup>o</sup> 22`28.006"E	
23 <sup>o</sup> 6`15.568"N	76 <sup>o</sup> 22`21.064"E	
23 <sup>o</sup> 6`12.827"N	76 <sup>o</sup> 22`14.689"E	
23 <sup>o</sup> 6`06.555"N	76 <sup>o</sup> 22`02.383"E	
23 <sup>o</sup> 6`00.815"N	76 <sup>o</sup> 21`59.088"E	
23 <sup>o</sup> 6`55.916"N	76 <sup>o</sup> 21`56.360"E	
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual	
Sanctioned Production	1,000	

Capacity (M <sup>3</sup> /year)	
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024 <b>Annexure –5.</b>
Old EC transferred by MPSEIAA on	No
New EC transferred by MPSEIAA on	No
Consent Granted by MPPCB and validity	No
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No
Observation of Committee	Approximately 10% Submerged in the River
Date of Visit of Committee	22 <sup>nd</sup> June 2024

## Imagery of Site Sand Mine-Jivajigadh



Site Photograph During Visit




**(27) Sand Mine Choubaradhira-A**


Title of details	Description		
State	MP		
Name of River	Kalisindh		
Village	Choubaradhira-A		
Tehsil	Tonkkhurd		
District	Dewas		
Survey Number	1982		
Lease Area (Hectare)	4.000		
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude	
	23 <sup>0</sup> 5'08.108"N	76 <sup>0</sup> 21'37.781"E	
	23 <sup>0</sup> 5'14.124"N	76 <sup>0</sup> 21'40.449"E	
	23 <sup>0</sup> 5'20.426"N	76 <sup>0</sup> 21'42.178"E	
	23 <sup>0</sup> 5'26.857"N	76 <sup>0</sup> 21'43.219"E	
	23 <sup>0</sup> 5'33.353"N	76 <sup>0</sup> 21'43.526"E	
	23 <sup>0</sup> 5'39.841"N	76 <sup>0</sup> 21'43.990"E	
	23 <sup>0</sup> 5'42.410"N	76 <sup>0</sup> 21'44.798"E	
	23 <sup>0</sup> 5'42.083"N	76 <sup>0</sup> 21'45.863"E	
	23 <sup>0</sup> 5'35.665"N	76 <sup>0</sup> 21'44.734"E	
	23 <sup>0</sup> 5'29.168"N	76 <sup>0</sup> 21'44.452"E	
	23 <sup>0</sup> 5'22.680"N	76 <sup>0</sup> 21'43.982"E	
	23 <sup>0</sup> 5'16.273"N	76 <sup>0</sup> 21'42.781"E	
	23 <sup>0</sup> 5'10.235"N	76 <sup>0</sup> 21'40.137"E	
23 <sup>0</sup> 5'07.712"N	76 <sup>0</sup> 21'38.833"E		
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited		
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal		
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual		
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	4,680		
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024 <b>Annexure -5.</b>		
Old EC transferred by MPSEIAA on	No		
New EC transferred by	No		

MPSEIAA on	
Consent Granted by MPPCB and validity	No
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No
Observation of Committee	Not Submerged in the River
Date of Visit of Committee	22 <sup>nd</sup> June 2024

## Imagery of Site Sand Mine-**Choubaradhira-A**



## Site Photograph During Visit




**(28) Sand Mine - Choubaradhira-B**

Title of details	Description		
State	MP		
Name of River	Kalisindh		
Village	Choubaradhira-B		
Tehsil	Tonkkhurd		
District	Dewas		
Survey Number	1982 , 2087		
Lease Area (Hectare)	4.990		
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude	
	23°4'12.397"N	76°20'51.174"E	
	23°4'18.757"N	76°20'52.638"E	
	23°4'24.819"N	76°20'55.096"E	
	23°4'30.238"N	76°20'59.034"E	
	23°4'35.281"N	76°20'03.469"E	
	23°4'39.616"N	76°20'08.709"E	
	23°4'43.438"N	76°20'14.394"E	
	23°4'47.562"N	76°20'19.828"E	
	23°4'52.484"N	76°20'25.401"E	
	23°4'51.801"N	76°20'51.225"E	
	23°4'47.374"N	76°20'47.077"E	
	23°4'43.190"N	76°20'43.697"E	
	23°4'39.200"N	76°20'39.148"E	
	23°4'34.860"N	76°20'34.914"E	
	23°4'30.054"N	76°20'30.185"E	
23°4'24.673"N	76°20'24.233"E		
23°4'18.612"N	76°20'18.689"E		
23°4'12.148"N	76°20'12.821"E		
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited		
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal		
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan Mining Plan Approved on	Manual		
Sanctioned Production Capacity (M <sup>3</sup> /year)	4,680		
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in the meeting 764-A dated 05/06/2024, in light of OA 50/2024. No EC granted. SEAC MoM 764-A, Dated 05/06/2024 <b>Annexure -5.</b>		
Old EC transferred by MPSEIAA on	No		
New EC transferred by MPSEIAA on	No		

Consent Granted by MPPCB and validity	No
Consent issued for storage MPPCB and Validity by	No
Observation of Committee	Approximately 90% in the River
Date of Visit of Committee	22 <sup>nd</sup> June 2024

**Imagery of Site  
Sand Mine-Choubaradhira-B**



**Site Photograph During Visit**



## B. FACTUAL OBSERVATIONS OF INSPECTION:-

- (i) 28 sand mines were inspected between 20/06/2024, 21/06/2024 and 22/06/2024. Out of 28 sand mines, 13 sand mines were found approximately 100% submerged, one sand mine was found approximately 90% submerged, 03 sand mines were found approximately 80% submerged, one Sand Mine was found to be approximately 20% submerged, one Sand Mine was found to be approximately 50% submerged, one Sand Mine was found to be approximately 40% submerged, one Sand Mine was found to be approximately 25% submerged and 03 Sand Mines were found to be approximately 10% submerged. 04 Sand Mines were not submerged in the River.
- (ii) All 28 sand mines have not been given environmental clearance by MPSEIAA.
- (iii) All 28 sand mines have not been given CTO by the State Pollution Control Board.
- (iv) According to the information of Madhya Pradesh Pollution Control Board, Ujjain, public hearing has been held for Environment Clearance (EC) of 20 mines (Annexure -12) and the proceedings are under process in SEIAA Bhopal.
- (v) Information regarding sand mines in Dewas district provided by Mining Officer, District Dewas is enclosed in annexure – 13.

## C. ACTION TAKEN: -

### District DEWAS- MPSMC Sand Mining Action Taken by M.P. SEIAA

S.No.	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision / Remark
1.	SIA/MP/MIN/4 32853/2023	प्रकरण क्र. 10294/2023 रेत खदान, उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 221, ग्राम	726 Dated 21-02- 2024	Clarification from Collector regarding complaint	842 Dated 21-02- 2024	माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन है। अतः माननीय अधिकरण के अंतिम निर्णय अनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण का 'Delist' किया जाता है।

S.No.	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision / Remark
		पिपलनेरिया, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन <b>B-2</b>				
2.	SIA/MP/MIN/432830/2023	प्रकरण क्र. <b>10295/2023</b> रेत खदान, उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 105, ग्राम <b>मेलपिपल्या</b> , तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन <b>B-2</b>	726 Dated 21-02-2024	Clarification from Collector regarding complaint	842 Dated 21-02-2024	माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (cz) भोपाल के ओ.ए. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन है। अतः माननीय अधिकरण के अंतिम निर्णय अनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण का Delist किया जाता है।
3.	SIA/MP/MIN/432890/2023	प्रकरण क्र. <b>10317/2023</b> रेत खदान, उत्पादन क्षमता 2350 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 1 एवं 279, ग्राम <b>सुरजाना</b> ,	726 Dated 21-02-2024	Clarification from Collector regarding complaint	842 Dated 21-02-2024	माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (cz) भोपाल के ओ.ए. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन है। अतः माननीय अधिकरण के अंतिम निर्णय अनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण को Delist किया जाता है।

S.No.	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision / Remark
		तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन  B-2				
4.	SIA/MP/MIN/434287/2023	प्रकरण क्र. 10324/2023 3 रेत खदान, उत्पादन क्षमता 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.82 हेक्टेयर, खसरा 76, ग्राम भांजाखेड़ी-1, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन  B-2	726 Dated 21-02-2024	Clarification from Collector regarding complaint	842 Dated 21-02-2024	माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (cz) भोपाल के ओ.ए. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन है। अतः माननीय अधिकरण के अंतिम निर्णय अनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण को Delist किया जाता है।
5.	SIA/MP/MIN/434303/2023	10322/2023 3 Bhanjakhedi-2 Sand Deposit B-2	688 dated 12.10.2023	EC recommended	Recommended for EC in 823 dated 29.12.2023, but EC was not granted due to compliant received SEIAA meeting 824 dtd 11-01-2024	EC not Issued

S.N o.	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision / Remark
					Revert to SEAC for Field verification	
6.	SIA/MP/MIN/432812/2023	10293/2023 Jaleriya Sand Deposit B-2	688 dated 12.10.2023	EC recommended	Recommend for EC in 823 dated 29.12.2023, but EC was not granted due to compliant received SEIAA meeting 824 dtd 11-01-2024 Revert to SEAC for Field verification	<b>EC not Issued</b>
7.	SIA/MP/MIN/432779/2023	10316/2023 Mining Project for Gajanpur-4 Sand Quarry B-2	688 dated 12.10.2023	EC recommended	816 dated 09.11.2023	<b>Rejected</b> खदान क्षेत्र के 600 मीटर पर एक मेजर ब्रिज परिलक्षित है। मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।”
8.	SIA/MP/MIN/432792/2023	10323/2023 Mining Project for Gajanpur-5 Sand Quarry B-2	688 dated 12.10.2023	EC recommended	816 dated 09.11.2023	<b>Rejected</b> खदान क्षेत्र के 750 मीटर पर एक मेजर ब्रिज परिलक्षित है। मेजरब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।”
9.	SIA/MP/MIN/475556/2024	<b>Case No. P2/363/24</b> Prior Environment Clearance	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.

S.No.	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision / Remark
		for 2.000 Hectare, Khasra No.- 441, in Village - <b>Bijalgaon - 1</b> , Tehsil - Khategaon , District - Dewas (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum		एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		
10.	SIA/MP/MIN/475592/2024	<b>Case No. P2/367/24</b> Prior Environment Clearance for 20.000 Hectare, Khasra No.- 430, in Village - <b>Chichi - 1</b> , Tehsil - Khategaon , District - Dewas (MP), Maximum Production - 342000 cum per annum	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'blTribunal on the matter.
11.	SIA/MP/MIN/475714/2024	<b>P2/359/24</b> Prior Environment Clearance	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.

S.No.	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision / Remark
		for 10.000 Hectare, Khasra No.- 430, in Village - <b>Chichli-2</b> , Tehsil - Khategaon , District - Dewas (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum		एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		
12.	SIA/MP/MIN/475612/2024	<b>Case No. P2/369/24</b> Prior Environment Clearance for 6.000 Hectare, Khasra No.- 227, in Village - <b>Daiyat</b> , Tehsil - Khategaon , District - Dewas (MP), Maximum Production - 90000 cum per annum	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.
13.	SIA/MP/MIN/475618/2024	<b>Case No. P2/376/24</b> Prior Environment	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.

S.No.	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision / Remark
		Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 153, in Village - <b>Kundgaon -1</b> , Tehsil - Khategaon , District - Dewas (MP), Maximum Production - 72000 cum per annum		एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		
14.	SIA/MP/MIN/475630/2024	<b>Case No. P2/370/24</b> Prior Environment Clearance for 2.000 Hectare, Khasra No.- 153, in Village - <b>Kundgaon -2</b> , Tehsil - Khategaon , District - Dewas (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.
15.	SIA/MP/MIN/475700/2024	<b>Case No. P2/374/24</b> Prior Environment	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.

S.No.	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision / Remark
		nt Clearance for 10.000 Hectare, Khasra No.- 164, in <b>Village - RAWLAS</b> , Tehsil - Khategaon , District - Dewas (MP), Maximum Production - 13000 cum per annum		के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		
16.	SIA/MP/MIN/475741/2024	<b>Case No. P2/362/24</b> Prior Environment Clearance for 6.700 Hectare, Khasra No.- 1,58, in Village - <b>Pirpadliya</b> , Tehsil - Sonkatch, District - Dewas(MP), Maximum Production - 10000 cum per annum	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.
17.	SIA/MP/MIN/475663/2024	<b>Case No. P2/361/24</b> Prior	764-A Dated 05-06-	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the

S.No.	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision / Remark
		Environment Clearance for 2.000 Hectare, Khasra No.- 153, in Village - <b>KUNDGAO N-3</b> , Tehsil - Khategaon , District - Dewas (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum	2024	अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		matter.
18.	SIA/MP/MIN/475687/2024	<b>Case No. P2/368/24</b> Prior Environment Clearance for 2.000 Hectare, Khasra No.- 153, in <b>Village - KUNDGAO N-4</b> , Tehsil - Khategaon , District - Dewas(MP ), Maximum Production - 36000 cum per annum	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.

S.No.	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision / Remark
19.	SIA/MP/MIN/475749/2024	<b>Case No. P2/375/24</b> Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 1, in <b>Village - Patadiyat aj</b> , Tehsil - Sonkatch, District - Dewas (MP), Maximum Production - 1080 cum per annum	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.
20.	SIA/MP/MIN/475763/2024	<b>Case No. P2/372/24</b> Prior Environment Clearance for 9.220 Hectare, Khasra No.- 6, 224, 271, 576, in <b>Village - Kalukhedi</b> , Tehsil - Sonkatch, District - Dewas (MP), Maximum Production	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.

S.No.	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision / Remark
		n - 1000 cum per annum				
21.	SIA/MP/MIN/475782/2024	<b>Case No. P2/365/24</b> Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 1117, in <b>Village - Jiwajigarh</b> , Tehsil - Tonk Khurd, District - Dewas (MP), Maximum Production - 1000 cum per annum	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.
22.	SIA/MP/MIN/475713/2024	<b>Case No. P2/373/24</b> Prior Environment Clearance for 6.000 Hectare, Khasra No.- 369, in <b>Village - KARODM AFI</b> , Tehsil - Khategaon , District - Dewas	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.

S.No.	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision / Remark
		(MP), Maximum Production - 2000 cum per annum				
23.	SIA/MP/MIN/475801/2024	<b>Case No. P2/366/24</b> Prior Environment Clearance for 4.990 Hectare, Khasra No.- 1982 ,2087, in <b>Village - Chobaradhira-B</b> , Tehsil - Tonk Khurd, District - Dewas (MP), Maximum Production - 4680 cum per annum	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.
24.	SIA/MP/MIN/475773/2024	<b>Case No. P2/364/24</b> Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 1982, in Village - <b>Chobarad</b>	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.

S.No.	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision / Remark
		hira A, Tehsil - Tonk Khurd, District - Dewas (MP), Maximum Production - 4680 cum per annum				
25.	SIA/MP/MIN/475536/2024	<b>Case No. P2/360/24</b> Prior Environment Clearance for 7.000 Hectare, Khasra No.- 441, in Village - <b>Bijalgaon-2</b> , Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 15000 cum per annum	764-A Dated 05-06-2024	ADS-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.
26.	Nil	<b>Village-Nemawar-2</b>				<b>Proposal Not Received on Parivesh Portal</b>
27.	Nil	<b>Village-Nemawar-4</b>				<b>Proposal Not Received on Parivesh Portal</b>
28.	Nil	<b>Village-Nemawar-5</b>				<b>Proposal Not Received on Parivesh Portal</b>

**D. Recommendation: -**

1. The mining department (The State Mining Corporation) should conduct survey for identification of new sand mines and identify new sites as per potential/availability of sand and declared new sand mines as per rules.
2. The EIA study Report shall have to be prepared by the State Mining Corporation in such a way that it should not only contains the Water and Air Quality monitoring data's of one year of all seasons but should also contains the details of submerging area of all sand mine individually for all seasons of the year i.e. may be excluded for Rainy season.
3. The calculation of submergence part of sand mine area and physically verification/inspection shall be done by the State Mining Corporation & Mining Officer, thereafter the TOR shall be issued by SEAC for further process i.e. Public Hearing.
4. Record of depth of River shall have to be kept by Mining Department for all sand mines area which is considered for EC and further tendering process.

  
Dr. Rubina Choudhary  
Member, MPSEAC  
Bhopal (Madhya Pradesh).  
8.7.2024

  
Shri Rajesh Mishra  
Executive Engineer  
SEIAA  
Bhopal (Madhya Pradesh).

  
Dr. Yogendra Kumar Saxena  
Scientist 'C'  
Central Pollution Control Board  
Regional Directorate, Bhopal  
(Madhya Pradesh)

  
Shri H.K. Tiwari  
Regional Officer  
Madhya Pradesh Pollution Control Board  
Regional Office, Ujjain  
(Madhya Pradesh).  
5/7/2024

Item No. 02

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL  
(Through Video Conferencing)**

**Original Application No. 50/2024(CZ)**

Prabhat Mohan Pandey

Applicant(s)

Vs

Union of India & Ors.

Respondent(s)

Date of Hearing: **12.03.2024**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s): Mr. Rohit Sharma, Adv.

For Respondent(s):

**ORDER**

1. Issue raised in this application is sand mining leases in the District Dewas, (M.P.), which were auctioned by MP State Mining Corporation in terms of Madhya Pradesh Sand (Mining) Transportation, Storage, Trading, Rules 2019 in the month of June, 2023. The contention of the applicant is that these 28 Sand Mining Leases which were auctioned for the District of Dewas are submerged in water throughout the year therefore making it practically impossible to excavate sand from any of these 28 Mining Leases. The District administration has wrongly identified and allocated these Sand Mines and the District Survey Report prepared for the District of Dewas also shows incorrect factual position of availability of sand in these 28 Sand Mining leases. State Mining Corporation being the custodian of these leases is creating undue influence on the State Functionaries such as MPSEIAA to grant Environment Clearance to these leases, wherein legal procurement and extraction of sand is not possible.
2. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.

3. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
4. Respondents are directed to submit their reply/counter affidavit through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the next date of listing.
5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:
  - (i) One Representative from the Madhya Pradesh State Environmental Impact Assessment Authority (MPSEIAA)
  - (ii) One Representative from the MPSEAC
  - (iii) One Representative from the Central Pollution Control Board,
  - (iv) One representative from the Madhya Pradesh Pollution Control Board.
6. The Committee is directed to submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
7. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and the respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an affidavit that notices and copy of the application have been served upon the committee and respondents.
8. The report in the matter be filed by the Committee by email at [ngtczbbho-mp@gov.in](mailto:ngtczbbho-mp@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **2<sup>nd</sup> May, 2024.**

**Sheo Kumar Singh, JM**

**Dr. A Senthil Vel, EM**

12<sup>th</sup> March, 2024  
O.A. No. 50/2024(CZ)  
K



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)  
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>  
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859  
No: /SEIAA/2024  
Date:

कार्यालय आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल के ओ.ए. क्र. 50/2024 (प्रभात मोहन पाण्डेय वि. यूनिशन ऑफ इंडिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के परिपालन में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट हेतु नोडल एजेंसी रहेगी। जिसमें SEIAA की ओर से सदस्य प्रतिनिधि हेतु श्री राजेश मिश्रा जी (कार्यपालन यंत्री SEIAA) को नामांकित किया जाता है।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

Endt No. 3483 / SEIAA/2024  
Copy to:

Dated:- 28/3/24

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी भोपाल म.प्र. की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. कलेक्टर देवास (म.प्र.), की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, SEAC
4. लेखाधिकारी, एफको, भोपाल
5. प्रभारी अधिकारी, SEIAA

FF (SEAC)

श्री राजेश मिश्रा  
37/4/24

सदस्य सचिव

# State Level Expert Appraisal Committee

Office at M.P. Pollution Control Board

Paryavaran Parisar, E-5 Sector, Arera Colony, Bhopal (M.P.) – 462016

☎: (0755) 2466 735 E-mail ID: seacofmadhyapradesh@rediffmail.com

/SEAC/Gen./2024

Bhopal, date / /2024

No.  
प्रति,

डॉ०. रूबिना चौधरी, सदस्य,  
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, (MPSEAC),  
फेकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस,  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला कैम्पस, खंडवा रोड-इंदौर  
जिला -इंदौर (म.प्र.)।


विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल के ओ.ए. क्र०. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डेय विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) द्वारा जारी आदेश दिनांक 12/03/2024 के परिपालन बाबत।

संदर्भ:- राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA), का पत्र क्रमांक 3484 दिनांक 28/03/2024.

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA) से प्राप्त पत्र (छायाप्रति एवं ओ.ए. 50/2024 की प्रति संलग्न है) के परिपेक्ष्य में समिति की सदस्य डॉ०. रूबिना चौधरी को समिति की ओर से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ओ.ए. क्र०. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डेय विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) द्वारा जारी आदेश दिनांक 12/03/2024 के परिपालन में प्रस्तावित संयुक्त समिति का सदस्य नामांकित किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



( ए०.ए०. मिश्रा )

सदस्य सचिव

Bhopal, date 05/04/2024


Endt. No. 87 SEAC/Gen./2024

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA), एम्को, पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) की ओर संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. डॉ०. रूबिना चौधरी, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, (MPSEAC), फेकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला कैम्पस, खंडवा रोड-इंदौर, जिला -इंदौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री राजेश मिश्रा, कार्यपालन यंत्री, (MPSEIAA), एम्को, भोपाल (म.प्र.) मो०. न०. 9179218282, 7974676714 की ओर संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

DE(L)

SEAC Gen. letter



20

CM-13012/9/2024-RD Bhopal/16996/2501-2508

दिनांक: 28 मार्च, 2024

प्रति,

सदस्य सचिव  
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल - 462016

**Most urgent**  
NGT Case

**संशोधित आदेश**

विषय: NGT OA No. 50/2024(CZ) "Prabhat Mohan Pandey Vs. Union of India & Ors." में अधिकारी के नामांकन बाबत।

संदर्भ: माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक: 12/03/2024


महोदय,

कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक: 12/03/2024 को विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-मध्य प्रदेश, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं।

आदेश के अनुसार उक्त समिति द्वारा Factual & Action Taken Report तैयार कर तीन सप्ताह के भीतर माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रकरण में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी होगी। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 02/05/2024 को नियत की गई है।

उक्त कार्य हेतु इस कार्यालय से डॉ. योगेंद्र कुमार सक्सैना, वैज्ञानिक 'ग' (मोबाइल नं.- 9425677776, ईमेल- [dryksaxena.cpcb@gov.in](mailto:dryksaxena.cpcb@gov.in)) को नामित किया गया है। अनुरोध है कि उपरोक्त हेतु निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ताकि निर्धारित तिथि के पूर्व नोडल एजेंसी द्वारा Factual & Action Taken Report माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।


भवदीय,

  
(पी. जगन)  
क्षेत्रीय निदेशक

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

- डिवीजनल हेड, विधि अनुभाग, के.प्र.नि.बो., दिल्ली
  - क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बो., उज्जैन
  - डॉ. योगेंद्र कुमार सक्सैना, वैज्ञानिक 'ग', के.प्र.नि.बो., भोपाल
- की ओर कृपया सूचनार्थ।  
- की ओर कृपया सूचनार्थ एवं  
- आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
क्षेत्रीय निदेशक

"राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है"

पता: "परिवेश भवन"  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

ईपीएबीएक्स : 0755-2775385, 2775386

क्षेत्रीय निदेशक डायरेक्ट : 0755-2775384

ई-मेल: [cpcb.bhopal@gov.in](mailto:cpcb.bhopal@gov.in), वेबसाइट: [www.cpcb.nic.in](http://www.cpcb.nic.in)

मुख्यालय:

परिवेश भवन

पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

दूरभाष क्र : 011-43102030

"सिंगल यूज प्लास्टिक" का करें बहिष्कार



**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
**पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेय कॉलोनी,भोपाल-462016**



Fax No : +91-755-2463742 E-mail : it\_mppcb@rediffmail.com

कमांक 1824 /विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/24,  
प्रति,

भोपाल, दिनांक /24,  
10 JUN 2024

क्षेत्रीय अधिकारी,  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
उज्जैन।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण कमांक 50/2024 एवं 66/2024 (प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध भारत संघ व अन्य) द्वारा दिनांक 02.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन बावत्।


उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण कमांक 50/2024 व 66/2024 के अन्तर्गत दिनांक 02.05.2024 को पारित आदेश का अवलोकन हो। आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

Learned counsel for applicant Mr. Rohit Sharma has submitted that another application i.e. original application no. 66/2024 is also pending on the same point of issues. A committee was constituted in O.A. No. 50/2024 listed today i.e. 02.05.2024 as mentioned in para 5 is directed to examine the matter relating to O.A. No. 66/2024 and to submit the report. The present original application is also be listed on 09.07.2024 with O.A. No. 66/2024.

Rest of the respondents are directed to submit their reply before the next date of listing. List it on 09th July, 2024

अतः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशानुसार प्रकरण कमांक 50/2024 में गठित संयुक्त समिति को प्रकरण कमांक 66/2024 में भी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश संबंधी आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त गठित समिति के निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी, मंडीदीप से समन्वय कर दोनो प्रकरणों में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 09.07.2024 को नियत है।

संलग्न :-एनजीटी आदेश।

  
(ए०ए०मिश्रा)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

- क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मंडीदीप की ओर सूचनार्थ। प्रकरण कमांक 50/2024 में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 02.05.2024 को पारित आदेश के अनुक्रम में बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, उज्जैन को नामित किया गया है। संयुक्त गठित समिति में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण(सिया) की ओर से श्री राजेश मिश्रा, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति(सेक) की ओर से डॉ. रुबिना चौधरी तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से डॉ. योगेंद्र कुमार सकसैना नामित किये गये हैं।(प्रति संलग्न) प्रकरण आपके कार्यक्षेत्र का है, अतः संबंधितों से समन्वय कर निर्धारित समयावधि में प्रतिवेदन माननीय एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

17, भरतपुरी, उज्जैन दूरभाष कार्यालय-0734-2510984

ई-मेल romppcb\_ujjain@yahoo.co.in



क्रमांक- 005 / प्रनिबो / शेकाउ / 2024  
प्रति,

उज्जैन, दिनांक 18 / 06 / 2024

श्री प्रभात मोहन पाण्डेय,  
एप्लीकेंट,  
एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक-50 / 2024 (CZ)  
ई-मेल nluadvrohitsharma@gmail.com

विषय :- माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक-50 / 2024 (CZ) में दिनांक 12.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित जांच दल द्वारा निरीक्षण किये जाने की सूचना बाबत।




महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक-50 / 2024 (CZ) में दिनांक 12.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित जांच दल द्वारा दिनांक 20 जून, 2024 को नेमावर एवं दिनांक 21 जून, 2024 को हरदा में स्थल निरीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है। कृपया निर्धारित तिथि को आपकी उपस्थिति हेतु अनुरोध है।

(एच.के.तिवारी),  
क्षेत्रीय अधिकारी उज्जैन

ATTENDANCE SHEET (Date - 20/06/2024)

The site visited by the officials on dated 20/06/2024 in compliance of order passed in Hon'ble NGT Original Application No. 50/2024 (G)  
(Prabhat Mohan Pandey V/s Union of India & Ors)

S. No.	Name of officus	Designation & Mob. No.	Signature
1	Rajesh Kumar Mishra	Executive Engineer 9179218282	
2	Dr. Yogendra Kumar Saxena	Secretary 9425677776	
3	Dr. Rubina Chaudhry	Prof. SEES DAVV, Indore	
4	H. K. Tiwari M.P.C.B Ujjain	R-O MPPCB Ujjain (MP)	

Item No. 04

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL  
(Through Video Conferencing)**

**Original Application No. 50/2024(CZ)**

Prabhat Mohan Pandey

Applicant(s)

Vs.

Union of India & Ors.

Respondent(s)

**Date of Hearing: 02.05.2024**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s): Mr. Rohit Sharma, Adv.  
Mr. Faizan Khan, Adv.

For Respondent(s): Mr. Pranjal Pandey, Adv.  
(for Ms. Parul Bhadoria, Adv.)  
Mr. Yadvendra Yadav, Adv.  
Mr. Om Shankar Shrivastava, Adv.  
Dr. Sapna Aggarwal, Adv.  
Mr. Shivanshu Singh, Adv.

**ORDER**

1. Learned counsel for applicant Mr. Rohit Sharma has submitted that another application i.e. original application no. 66/2024 is also pending on the same point of issues. A committee was constituted in O.A. No. 50/2024 listed today i.e. 02.05.2024 as mentioned in para 5 is directed to examine the matter relating to O.A. No. 66/2024 and to submit the report. The present original application is also be listed on 09.07.2024 with O.A. No. 66/2024.
2. Rest of the respondents are directed to submit their reply before the next date of listing.

List it on **09<sup>th</sup> July, 2024**

**Sheo Kumar Singh, JM**

**Dr. A. Senthil Vel, EM**

02<sup>nd</sup> May, 2024  
O.A No. 50/2024(CZ)  
PN

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

ADS खनिज अधिकारी से वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

**18. Case No. P2/464/24 OMKAR DUBEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.-108, 01, 01, in Village - KHAMI-CHHAPARA-ATRI , Tehsil - Barghat, District - Seoni (MP), Maximum Production - 6000 cum per annum [ MIN/444370/2023]**

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है । परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर खनिज अधिकारी से “वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

ADS खनिज अधिकारी से वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सहित स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार” पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे ।

**19. Case No. P2/363/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.000 Hectare, Khasra No.- 441, in Village - Bijalgaon -1, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum [ MIN/454509/2023]**

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये है। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे ।

**764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

**20. Case No. P2/367/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 20.000 Hectare, Khasra No.- 430, in Village - Chichi -1, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 342000 cum per annum [ MIN/454538/2023]**

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

**ADS-** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

**21. Case No. P2/359/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 10.000 Hectare, Khasra No.- 430, in Village - Chichli-2, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum [ MIN/460270/2024]**

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

**ADS-** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

**22. Case No. P2/369/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.000 Hectare,**

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

**Khasra No.- 227, in Village - Daiyat, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 90000 cum per annum [ MIN/454559/2023]**

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

**ADS-** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

**23. Case No. P2/399/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 12.000 Hectare, Khasra No.- 565, 744, in Village - RAJARWARA, Tehsil - Vijayraghavgarh, District - Katni (MP), Maximum Production - 194400 cum per annum [ MIN/444948/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 05/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 565,744 ( ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल - 12.00 हे.
स्थल	ग्राम - रजरवारा, तहसील -विजयराघवगढ़, जिला - कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के	

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

	लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम रजरवारा रेत खदान, दिनांक- 25/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा रजरवारा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 1,94,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1,94,400 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2165 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 9.51 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 21.51 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2165 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2165 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय

**764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 05 जून 2024**

	राजमार्ग / राज्य मार्ग / संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेन / दूरदर्शन / हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी / तालाब / नहर / बांध / स्टॉपडैम / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / जलीय निकाय / नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रजरवारा, जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 16/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	महानदी नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-28 के सरल क्रमांक-31 एवं पेज नं.-61 के सरल क्रमांक-25 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 25/05/2024, को संपन्न हुई।  आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2022 की गूगल इमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 12.00 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 2.7 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 2.3 हे. छोड़ने पर 9.7 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 194400 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

जन सुनवाई में अवैध रेत खनन बावत् लेख किया गया है। खजिन अधिकारी द्वारा इस पर संज्ञान लिया जाये।

**764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 194400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्य प्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<b>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<b><u>PLANTATION SCHEME</u></b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(3200 X150 = ₹4,80,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(300X 500= ₹ 1,50,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(5140 X50 = ₹ 2,57,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (90 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	90,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 70	60,000	6,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya	--	--

**764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

	(Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 70 Labors - 70× 500 × 2)	-	70,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 70 workers - 70× 1500)	1,05,000	21,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	2,50,000	2,50,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
<b>Total</b>		<b>17,58,000/-</b>	<b>8,82,700/-</b>

1. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.8 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम रजरवारा के ग्रामवासियों के लिए प्रत्येक छह माह में 2,80,000 रुपये की राशि से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जावेगा जिसमें सभी ग्राम वासीयो की रक्तचाप, मलेरिया डेंगू एवं मधुमेह की निशुल्क जांच की जावेगी	2,80,000
<b>कुल</b>	<b>2,80,000</b>

**764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3500 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 5140 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	3200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5140
<b>कुल</b>			<b>8640</b>
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये</p>			

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 05 जून 2024

जावें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

24. Case No. P2/376/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 153, in Village - Kundgaon-1 , Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 72000 cum per annum [ MIN/454638/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

25. Case No. P2/370/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.000 Hectare, Khasra No.- 153, in Village - Kundgaon-2 , Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum [ MIN/454656/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 05 जून 2024**

**26. Case No. P2/122/24 PURAN LAKSHKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 4.50 Hectare, Khasra No.- 231/1 in Village - PUNI, Tehsil - Waraseoni, District - Balaghat (MP), Maximum Production - 54000 cum per annum [ MIN/450603/2023]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो वैनगंगा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पूरन लक्षकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थितिA

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री पूरन लक्षकार, कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	231/1 (सरकारी-गैर वन भूमि)	4.50 हे.
स्थल	ग्राम- पूनी, तहसील- वारासिवनी, जिला- बालाघाट, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 54000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 54000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/315 दिनांक 29/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/315 दिनांक 29/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की	

**764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

	परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/315 दिनांक 29/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत- पूनी, ग्रामसभा- पूनी, जिला- बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 17/02/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-17 के सरल क्रमांक-26 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 28/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रेत घाट से कुछ दूरी पर ही शमशान घाट, मंदिर एवं गाँव बसा हुआ है। पूर्व में ठेकेदार द्वारा रेत का अवैध खनन किया गया तथा रकबे के आलावा भी रेत का अवैध खनन किया गया। नल एवं कुआं भी स्थित है वहा पर। ग्राम वासियों की ओर से आपत्ति दर्ज की जाती है।</li> <li>1. यह रेत खदान मोक्षधाम में है। सबकी इच्छानुसार, घाट स्वीकृत ना हो। नियमों का पालन नहीं किया जाता है। जनहित में और पर्यावरण को बचाये रखने के लिए घाट स्वीकृत ना किया जाये।</li> </ol>

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा मार्च 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 4.50 हेक्टेयर प्रस्तावित है । खनन क्षेत्र की दक्षिण दिशा में 929 मीटर पर ब्रिज होने से एक कि. मी. छोड़ा गए । अतः सेन्ड गार्ड लाईन अनुसार रेत उपलब्धता मात्रा, खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 3.0 एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 2.0 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 0.5 हे. छोड़ने पर 4.0 हे. माईनेबल क्षेत्र बचता है । अतः 48000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

उत्पादन क्षमता रेत – 48000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें

**EMP Budget**

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
<b>A. For Environmental Protection</b>			
1	Cost for Water	-	105840
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	150000	15000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	135000	13500
<b>B. Labour Welfare</b>			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	16000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	16000
9	VT Training for Labours	Nil	6400
<b>C. Carbon Sequestration</b>			
10	For Carbon Foot print tree adaptation	100000	100000
<b>D. Emergency Rescue Plan</b>			
12	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
13	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
<b>E. Solid Waste Management</b>			
14	Bins 2 nos	1000	-
<b>Total</b>		<b>461000</b>	<b>364740</b>

1. C E R मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.92 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

<b>सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ</b>	<b>राशि (रू. में)</b>
ग्राम पुनि के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 92000.0 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति महेश्वर के बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	92000.00

2. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 5500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

**764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे, पहुच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	खस, घास, करौंदा करंज, अर्जुन एवं जामुन बाँस, बेर, आम, शहतूत लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	2000
2	ग्राम छपरट के आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	3500

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।

टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव ना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**27. Case No. P2/374/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 10.000 Hectare, Khasra No.- 164, in Village - RAWLAS, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 13000 cum per annum | MIN/454620/2023]**

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित

**764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

**ADS-** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

**28. Case No. P2/114/24 PURAN LAKSHKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 7.75 Hectare, Khasra No.- 706 in Village - BUDBUDA, Tehsil - Waraseoni, District - Balaghat (MP), Maximum Production - 83700 cum per annum [ MIN/450597/2023]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो चंदन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 05/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पूरन लक्षकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थितिA

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री पूरन लक्षकार, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	706 (सरकारी-गैर वन भूमि)	7.750 हे.
स्थल	ग्राम- बुदबुदा, तहसील- वारासिवनी, जिला- बालाघाट, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 83700 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत 83700 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र	

**764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

अन्य खदानें	क्रमांक/खनिज/2023/669 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला - बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/669 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभयारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/669 दिनांक 03/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत- बुदबुदा, ग्रामसभा- बुदबुदा, जिला- बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 11/11/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-14 के सरल क्रमांक-20 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 27/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> <li>2. रेत घाट से कुछ दूरी पर ही शमशान घाट, मंदिर एवं गाँव बसा हुआ है। पूर्व में ठेकेदार द्वारा रेत का अवैध खनन किया गया तथा रकबे के आलावा भी रेत का अवैध खनन किया गया। नल एवं कुआँ भी स्थित है वहा पर। ग्राम वासियों की ओर से आपत्ति दर्ज की जाती है।</li> <li>3. यह रेत खदान मोक्षधाम में है। सबकी इच्छानुसार, घाट स्वीकृत ना हो। नियमों का पालन नहीं किया जाता है। जनहित में और पर्यावरण को बचाये रखने के लिए घाट स्वीकृत ना किया जाये।</li> </ol>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल इमेज प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल इमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 7.75 हेक्टेयर प्रस्तावित है। अतः सेन्ड गार्ड लाईन अनुसार रेत उपलब्धता मात्रा, खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 3.0 एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 1.8 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 1.68 हे. छोड़ने पर 6.07 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है। अतः 83700 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 05 जून 2024

लोक सुनवाई में अवैध उत्खनन की बात कहीं गई है। अतः माइनिंग आफिसर इस संबंध में संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 83700 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जाये।

C E R मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.43 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ

राशि (रू. में)

**764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

ग्राम बुदबुदा के ग्राम पंचायत के समशानघाट का नवीनीकरण हेतु 93000.0 रुपये की राशि ग्राम पंचायत बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	93000.00
ग्राम बुदबुदा के ग्राम पंचायत के समशानघाट का नवीनीकरण हेतु 50000.00 रुपये की राशि ग्राम पंचायत बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	50000.00

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 05 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 9000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे, पहुच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	खस, घास, करौंदा करंज, अर्जुन एवं जामुन बाँस, बेर, आम, शहतूत लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	3000
2	ग्राम बुदबुदा के आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	6000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव ना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

**764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

**EMP Budget**

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
<b>A. For Environmental Protection</b>			
1	Cost for Water	-	70920
2	Pucca Approach Road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	307400	30740
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	60500	6050
5	Rainwater Harvesting Structures will be constructed nearby Grampanchayat office	100000	-
<b>B. Labour Welfare</b>			
6	Shelter for labours	25000	2000
7	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
8	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	16000
9	PPEs for Sand Mining operations	Nil	25600
10	VT Training for Labours	Nil	6400
<b>C. Carbon Sequestration</b>			
11	Installation of Solar Panels in the near Govt. Primary School	100000	100000
<b>D. Emergency Rescue Plan</b>			
12	First Aid Box & firefighting Equipment	20000	1000
13	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc.	20000	2000
<b>E. Solid Waste Management</b>			
14	Bins 2 no's	1000	-
Total		663900	347710

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**29. Case No. P2/362/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.700 Hectare, Khasra No.- 1,58, in Village - Pirpadliya, Tehsil - Sonkatch, District - Dewas (MP), Maximum Production - 10000 cum per annum [ MIN/448837/2023]**

764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 05 जून 2024

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

30. Case No. P2/361/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.000 Hectare, Khasra No.- 153, in Village - KUNDGAON-3, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum [ MIN/454521/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

31. Case No. P2/368/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.000 Hectare, Khasra No.- 153, in Village - KUNDGAON-4, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum [ MIN/454540/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित

764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 05 जून 2024

अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

32. Case No. P2/375/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 1, in Village - Patadiyataj, Tehsil - Sonkatch, District - Dewas (MP), Maximum Production - 1080 cum per annum [ MIN/448842/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

33. Case No. P2/372/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 9.220 Hectare, Khasra No.- 6, 224, 271, 576, in Village - Kalukhedi, Tehsil - Sonkatch, District - Dewas (MP), Maximum Production - 1000 cum per annum [ MIN/448867/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 05 जून 2024

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

34. Case No. P2/365/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 1117, in Village - Jiwaigarh, Tehsil - Tonk Khurd, District - Dewas (MP), Maximum Production - 1000 cum per annum [ MIN/448876/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

35. Case No. P2/463/24 OMKAR DUBEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 5.000 Hectare, Khasra No.- 265, 01, in Village - BAGDONGRI-DEVGAON , Tehsil - Keolari, District - Seoni (MP), Maximum Production - 30000 cum per annum [ MIN/444350/2023]

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा नदी के अप स्ट्रीम में 350 मी. पर एक रोड ब्रिज है। अतः सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये तथा ब्रिज के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

ADS- सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स को ध्यान में रखते हुये ब्रिज कार्पोरेशन/ब्रिज के संधारण करने वाली संस्था का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 05 जून 2024

36. Case No. P2/373/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 6.000 Hectare, Khasra No.- 369, in Village - KARODMAFI, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 2000 cum per annum [ MIN/454659/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

37. Case No. P2/366/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.990 Hectare, Khasra No.- 1982 ,2087, in Village - Chobaradhira-B , Tehsil - Tonk Khurd, District - Dewas (MP), Maximum Production - 4680 cum per annum [ MIN/448901/2023]

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

38. Case No. P2/398/24 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 3.000 Hectare, Khasra No.- 1, in Village - HATHEDA, Tehsil - Vijayraghavgarh, District - Katni (MP), Maximum Production - 45000 cum per annum [ MIN/444850/2023]

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 05/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 01 ( ग्रासकीय भूमी नदी)      क्षेत्रफल - 03.00 हे.
स्थल	ग्राम - हथेडा, तहसील - विजयराघवगढ़, जिला - कटनी (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक - एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम हथेडा रेत खदान, दिनांक- 04/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा हथेडा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 45,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 45,000

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 जून 2024

	घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2166 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 18.51 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 21.51 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2166 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2166 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मामान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदन गील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं। एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हथेडा, जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 09/07/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	महानदी नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	18/09/2023

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-28 के सरल क्रमांक-32 एवं पेज नं.-37 के सरल क्रमांक-32 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 25/05/2024, को संपन्न हुई ।  आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2022 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 3.0 हेक्टेयर प्रस्तावित है खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 2.5 मीटर रखी गई है । नॉन माईनिंग क्षेत्र 1.8 हे. छोड़ने पर 1.2 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है । अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 28000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 28000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें।

S.No.	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<b>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,26,000
1(b)	Water requirement- 3.5 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (700m in length × 5m in width)	2,10,000	42,000
3.	<b>PLANTATION SCHEME</b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1000X 150 = ₹1,50,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(150X500 = ₹ 75,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(1010X 50 = ₹ 50,500)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (21 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	21,000

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)			
	Pollution Monitoring			30,000
	i) Air pollution			30,000
	ii) Water pollution			20,000
	iii) Soil Pollution			20,000
	iv) Noise Pollution			
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 26		20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		--	--
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 26 Labors - 26× 500 × 2)		-	26,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 26 workers - 26× 1500)		39,000	7,800
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,20,000	1,20,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
<b>Total</b>			<b>8,20,500/-</b>	<b>4,89,350/-</b>

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.2 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

- सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर. मद से 1,20,000 की राशि रोगी कल्याण समिति ग्राम हथेडा के खाते में भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,20,000
<b>कुल</b>	<b>1,20,000</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1150 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1010 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1010
<b>कुल</b>			<b>2160</b>
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।		

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।  
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**39. Case No. P2/395/24 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for 7.260 Hectare, Khasra No.-17, in Village - Ganeshpur, Tehsil - Barawada, District - Katni (MP), Maximum Production - 108900 cum per annum [ MIN/444557/2023]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 05/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु गील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु गील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता - पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 17 ( शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल - 7.26 हे.
स्थल	ग्राम - गणे ।पुर, तहसील -बडवारा, जिला - कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय,	

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

	भोपाल के पत्र क्रमांक -- एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सत्वाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गणे ापुर रेत खदान, दिनांक- 21/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	सिया द्वारा गणे ापुर रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 1,08,900 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1,08,900 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2163 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 12.39 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 19.65 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2163 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2163 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/

**764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

	पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गैल क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं। एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत बडवाराए जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 20/09/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	महानदी नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-25 के सरल क्रमांक-13 एवं पेज नं.-60 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 28/05/2024, को संपन्न हुई।  आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई। खनन क्षेत्र कुल 7.260 हेक्टेयर प्रस्तावित है,परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 36 दिनांक 08/01/2024 में अनुमोदित अतिरिक्त कॉर्डिनेट प्रस्तुत किये हैं। खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 1.5 कि.मी. की दूर पर ब्रिज है। खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. अनुसार गहराई 2.5 मीटर रखी गई है। नॉन माईनिंग क्षेत्र 4.25 हे. छोड़ने पर 3.01 हे. माईनेबल क्षेत्र बचत है। अतः रेत उपलब्धता को देखते हुये 75000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 75000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगा।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस. आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

S.No	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
<b>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,26,000

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

1(b)	Water requirement- 3.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (700m in length × 5m in width)	2,10,000	42,000
3.	<b><u>PLANTATION SCHEME</u></b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(2200X 150= ₹3,30,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(150X500= ₹ 75,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2850X 50 = ₹ 1,42,500)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (50 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	50,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 59	50,000	10,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	--	--

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 05 जून 2024**

9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 59 Labors -59× 500 × 2)	-	59,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 59workers - 59× 1500)	88,500	10,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	23,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
<b>Total</b>		<b>11,55,000/-</b>	<b>5,64,000/-</b>

5. सी.ई.आर.-मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
गणेशपुर गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशाला के विकास के लिए।	1,00,000
<b>कुल</b>	<b>1,00,000</b>

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2350 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2850 वृक्षों का वितरण :-

**764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 05 जून 2024**

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2850
<b>कुल</b>			<b>5200</b>
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

764वीं ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 05 जून 2024

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

40. Case No. P2/364/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 1982, in Village - Chobaradhira A, Tehsil - Tonk Khurd, District - Dewas (MP), Maximum Production - 4680 cum per annum [ MIN/448885/2023] (MP)-462011,

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

41. Case No. P2/360/24 GIRISH KHANDWEKAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District- Prior Environment Clearance for 7.000 Hectare, Khasra No.- 441, in Village - Bijalgaon-2, Tehsil - Khategaon, District - Dewas (MP), Maximum Production - 15000 cum per annum [ MIN/460260/2024]Bhopal (MP)-462011,

सिया द्वारा दिनांक 27/05/2024 को अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में देवास जिले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक ओए-50/2024, आदेश दिनांक 12/03/2024 द्वारा संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय के अधिन एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तावित रेत खदान प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी

ADS- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय एवं निर्देश के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जावे।

42. Case No. P2/481/24 GAYAPRASAD ANJNE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 3.414 Hectare, Khasra No.-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 823वी बैठक दिनांक 29.12.2023  
का कार्यवाही विवरण

4. प्रकरण क्र. 9527/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ओम साईं स्टोन प्राइवेट लि0, पार्टनर श्री संजय जैन आत्मज स्व. श्री उग्रसेन जैन, निवासी सी-505, मिक्स टावर, डी.बी. भाहर, जिला ग्वालियर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.150 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 2678, 2673/1, 2674/2, 2677/2, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 680वी बैठक दिनांक 15.09.2023 की अनुशंसा अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 811वीं बैठक दिनांक 06.10.2023 में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी जिसके परिपालन में दिनांक 06.10.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई।


परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 31.10.2023 में परियोजना प्रस्तावक का नाम टंकण त्रुटिवश मेसर्स ओम साईं स्टोन के स्थान पर मेसर्स ओम साईं स्टोन प्रा.लि. अंकित हो गया है। जिसे ओम साईं स्टोन किये जाने का अनुरोध किया गया है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड दस्तावेजों का परीक्षण किया गया जिसके उपरांत पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 06.10.2023 में मेसर्स ओम साईं स्टोन प्रा.लि. के स्थान पर मेसर्स ओम साईं स्टोन पठन किये जाने हेतु संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06.10.2023 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता यथावत रहेंगी। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचनार्थ।


5. प्रकरण क्र. 10293/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 39, 40, ग्राम जलेरिया, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 816वीं बैठक दिनांक 09.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण में श्री प्रमोद यादव, हाउस नम्बर 10, खातेगांव देवास द्वारा पत्र दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से शिकायत की गई है कि "उक्त रेत खदान 12 माह नदी में जलमान रहती है जिससे रेत का उत्खनन करना संभव नहीं है तथा रेत भी अच्छी प्रकार की नहीं है इत्यादि"। अतः शिकायत की प्रति भेजते हुए उक्त शिकायत के संबंध में कलेक्टर देवास से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये साथ ही रेत की उपलब्धता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से मानसून पश्चात् (इसी वर्ष) की वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

  
(मुजीबुर्रहमान खान)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 823वी बैठक दिनांक 29.12.2023  
का कार्यवाही विवरण

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) देवास का पत्र क्र. 2411 दिनांक 07.12.2023 प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (M0PRO) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित),

  
(मुजीबुरहमान खान)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 823वी बैठक दिनांक 29.12.2023  
का कार्यवाही विवरण

रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 39, 40, ग्राम जलेरिया, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

6. प्रकरण क्र. 10322/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 76, ग्राम भांजाखेड़ी-2, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 816वीं बैठक दिनांक 09.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण में श्री प्रमोद यादव, हाउस नम्बर 10, खातेगांव देवास द्वारा पत्र दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से शिकायत की गई है कि 'उक्त रेत खदान 12 माह नदी में जलमग्न रहती है जिससे रेत का उत्खनन करना संभव नहीं है तथा रेत भी अच्छी प्रकार की नहीं है इत्यादि'। अतः शिकायत की प्रति भेजते हुए उक्त शिकायत के संबंध में कलेक्टर देवास से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये साथ ही रेत की उपलब्धता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से मानसून पश्चात् (इसी वर्ष) की वार्षिक पुनर्भरण अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) देवास का पत्र क्र. 2411 दिनांक 07.12.2023 प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 688वी बैठक दिनांक 12.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार जलमग्न क्षेत्र को "नो माईनिंग जोन" छोड़ते हुए 1.81 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

  
(मुजीबुरहमान खान)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

- उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।


परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 76, ग्राम भांजाखेड़ी-2, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

7. **Case No 10137/2023** Prior Environment Clearance for Kolkhera Soil Mine in an area of 1.00 ha. (2500 cum per year) (Khasra No. 878, 886, 887, 896, 897), Village-Kolherra, Tehsil-Kailaras, District-Morena (MP) by Shri Mahendra Sikarwar S/o Shri Puran Singh Sikarwar, Owner, R/o Village-Kolherra, Near Chowki, District-Morena (MP)-476229

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 819वीं बैठक दिनांक 06.12.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

  
(मुजीबुरहमान खान)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 823वी बैठक दिनांक 29.12.2023  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 695वी बैठक दिनांक 21.11.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

".....The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

In light of the above cases mentioned on S. No. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 and 14 are proposed to be delete, however, the cases in which reply has been submitted i.e. S. No. 2, 5, 9, 10 and 12 shall be scheduled in the forthcoming meeting of SEAC

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक ई-मेल दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


8. प्रकरण क्र. 9439/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पूजा मिनरल्स, संचालक श्री नरेंद्र सिंहारे, निवासी - तिलक वार्ड, वार्ड नं. 20, सिविल लाइन, जिला मण्डला (म0प्र0) द्वारा डोलोमाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता डोलोमाइट 16517 टीपीए एवं ओवरबर्डन 2660 टीपीए, रकबा 1.21 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 846/2, 846/3, 847/2, ग्राम मुगदरा तहसील नैनपुर जिला मंडला (म0प्र0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 692वी बैठक दिनांक 19.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 817वीं बैठक दिनांक 10.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खदान निजी भूमि पर स्वीकृत है जिसका भू-स्वामी गौंड जनजाति का है। अतः प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं भू-स्वामी कलेक्टर, मण्डला के समक्ष उपस्थिति होकर भू-स्वामी की सहमति को कलेक्टर मण्डला से अभिप्राणित करवाकर प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 21.12.2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए सशर्त

  
(मुजीबुरहमान खान)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 824वीं बैठक दिनांक 11.01.2024  
का कार्यवाही विवरण

24. प्रकरण क्र. 10709/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री श्याम सिंह गुर्जर आत्मज श्री मुंशी गुर्जर निवासी- ग्राम केनवाहा, तहसील पिछौर, जिला शिवपुरी (म0प्र0) द्वारा फर्शीपत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 245, ग्राम केनवाहा, तहसील पिछौर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 701वीं बैठक दिनांक 15.12.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में श्री राजेश लोधी, ग्राम व पोस्ट राजापुर, तहसील पिछोर जिला शिवपुरी द्वारा ई-मेल दिनांक 11.01.2023 के माध्यम से शिकायत की गई है कि आवेदित क्षेत्र से नाला लगा हुआ है जो कि ग्रामवासियों एवं उनके पशुओं के उपयोग के लिये है तथा खनन कार्य से निकट प्रधानमंत्री सड़क पर 200-300 फिट पर पानी भर जायेगा व सड़क क्षतिग्रस्त हो जायेगी एवं गांवों का एक दूसरे से आवागमन रूक जायेगा इत्यादि के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में शिकायत की प्रति भेजते हुए कलेक्टर जिला शिवपुरी से शिकायत के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

25. प्रकरण क्र. 10293/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 39, 40, ग्राम जलेरिया, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण में श्री प्रमोद यादव द्वारा की गई शिकायत के संबंध में कलेक्टर जिला देवास द्वारा पत्र क्र. 2411 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 823वीं बैठक दिनांक 29.12.2023 में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, परंतु पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया गया है।

शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा SEIAA कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास द्वारा पत्र दिनांक 25.11.2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता को मौका स्थल पर दिनांक 30.11.2023 को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने हेतु कहा गया यह कि नियत दिनांक को मैं उपस्थित रहा तथा तत्समय उपस्थित पुलिस के सदस्य द्वारा मेरे से जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत करा लिये गये। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में अपने अधिवक्ता श्री रोहित शर्मा के माध्यम से लीगल नोटिस दिनांक 05.01.2024 को प्रेषित किया गया है।

  
(मुजीबुर्रहमान खान)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि उक्त प्रकरण में श्री प्रमोद यादव द्वारा की गई शिकायत के संबंध में वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु प्रकरण SEAC को स्थल निरीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

26. प्रकरण क्र. 10322/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 76, ग्राम भांजाखेड़ी-2, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण में श्री प्रमोद यादव द्वारा की गई शिकायत के संबंध में कलेक्टर जिला देवास द्वारा पत्र क्र. 2411 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 823वी बैठक दिनांक 29.12.2023 में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, परंतु पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया गया है।


शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा SEIAA कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया है कि क10627

कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास द्वारा पत्र दिनांक 25.11.2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता को मौका स्थल पर दिनांक 30.11.2023 को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने हेतु कहा गया यह कि नियत दिनांक को मैं उपस्थित रहा तथा तत्समय उपस्थित पुलिस के सदस्य द्वारा मेरे से जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत करा लिये गये। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में अपने अधिवक्ता श्री रोहित शर्मा के माध्यम से लीगल नोटिस दिनांक 05.01.2024 को प्रेषित किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि उक्त प्रकरण में श्री प्रमोद यादव द्वारा की गई शिकायत के संबंध में वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु प्रकरण SEAC को स्थल निरीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

27. Case No. 144/2008 Prior Environmental Clearance for Bauxite & Ochre Mine (Opencast Manual Method) in an area of 15.62 ha for production capacity 10,000 MT/year at Khasra nos. 302(P), 303(P) & 304(P) at Village Karigohi, Tehsil Majhgawan Distt.Satna (MP) by M/s Rakesh Agencies, PO Jaitwara, Distt. Satna (MP)

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन फार्म-6 में जिला खनिज अधिकारी (खनिज शाखा) सतना द्वारा निष्पादित अनुबंध दिनांक 23.08.2022 (लीज अवधि दिनांक 15.12.2053 तक), नवीन अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन सहित पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

  
(मुजीबुर्रहमान खान)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 842वी बैठक दिनांक 04.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

अनुशासित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम गुरीरा, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशांसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशांसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार मेजर रोड़ ब्रिज से दोनो ओर न्यूनतम 1000 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 10294/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन, श्री गिरीश खाण्डेवाकर,, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 221, ग्राम पिपलनेरिया, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 842वी बैठक दिनांक 04.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

".....सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन है। अतः माननीय अधिकरण के अंतिम निर्णय अनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 10295/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री गिरीश खाण्डेवाकर,, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 105, ग्राम मेलपिपल्या, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

".....सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन है। अतः माननीय अधिकरण के अंतिम निर्णय अनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 10317/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री गिरीश खाण्डेवाकर,, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 2350 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 1 एवं 279, ग्राम सुरजाना, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।



(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 842वी बैठक दिनांक 04.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

".....सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन है। अतः माननीय अधिकरण के अंतिम निर्णय अनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण को *Delist* किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 10644/2023 दि म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री प्रमोद धाबई, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.50 हेक्टेयर, खसरा 35, ग्राम बाकुद, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 710 वीं बैठक दिनांक 05.01.2024 एवं 726वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर पर एक पक्का मेजर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 10324/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खाण्डेवाकर, जूनियर मैनेजर जनरल, सी.टी.टी. नगर, नेहरु नगर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.82 हेक्टेयर, खसरा 76, ग्राम भांजाखेड़ी -1, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

  
(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 842वी बैठक दिनांक 04.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

".....सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।...."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन है। अतः माननीय अधिकरण के अंतिम निर्णय अनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण को *Delist* किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 10412/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र बाजपेयी, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., प्रबंधक संभागीय कार्यालय भोपाल म.प्र. निवासी 172 जी.एच. शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पीछे, ग्राम - बावड़िया कलां, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 03, ग्राम लचायारा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 710 वीं बैठक दिनांक 05.01.2024 एवं 726वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र जलमग्न है तथा SEAC की गई अनुशंसा अनुसार पूर्व में भी बीच नदी से पनडुब्बी द्वारा रेत का उत्खनन किया जाता रहा है। चूंकि खदान क्षेत्र समान्यतः जलमग्न रहता है जिसके कारण बीच नदी से पनडुब्बी द्वारा रेत उत्खनन की संभावना रहती है जिससे जलीय जीवों एवं पौधों का रहवास नष्ट होता है। अतः पर्यावरणीय संवेदनशीलता प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. 10484/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री हरिशंकर शुक्ला, जूनियर मैनेजर दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 52,680 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.046 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम कोलहूवा, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 709 वीं बैठक दिनांक 04.01.2024 एवं 726वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

**726वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 21 फरवरी 2024**

अतः समिति कार्यपालन यंत्री के लोक निर्माण सेतु विभाग द्वारा दिये गये अभिमत पर सहमति व्यक्त की जाती है अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 710 वीं बैठक दिनांक 05/01/24 में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

8. **Case No 10294/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Pipalneriya Sand Mine in an area of 5.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 221), Village-Pipalneriya, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)**

सिया की 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 को प्रकरण के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा सिया कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास द्वारा पत्र दिनांक 25/11/2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता को मौका स्थल पर दिनांक 30/11/2023 को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने हेतु कहा गया यह कि नियत दिनांक को मैं उपस्थित रहा तत्समय उपस्थित पुलिस के सदस्य द्वारा मेरे से जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिये गये। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से लीगल नोटिस दिनांक 05/01/2024 को प्रेषित किया गया है।

**प्रकरण का परीक्षण**

प्रकरण को समिति की पूर्व 705 वीं बैठक दिनांक 27/12/23 को तकनीकी बिन्दु पर परीक्षण कर अनुशंसित किया गया था।

सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।

9. **Case No 10295/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Melpipliya Sand Mine in an area of 4.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 105), Village- Melpipalya, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)**

सिया की 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 को प्रकरण के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा सिया कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास द्वारा पत्र दिनांक

**726वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 21 फरवरी 2024**

25/11/2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता को मौका स्थल पर दिनांक 30/11/2023 को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने हेतु कहा गया यह कि नियत दिनांक को मैं उपस्थित रहा तत्समय उपस्थित पुलिस के सदस्य द्वारा मेरे से जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिये गये। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से लीगल नोटिस दिनांक 05/01/2024 को प्रेषित किया गया है।

**प्रकरण का परीक्षण**

प्रकरण को समिति की पूर्व 705 वीं बैठक दिनांक 27/12/23 को तकनीकी बिन्दु पर परीक्षण कर अनुशंसित किया गया था ।

सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।

10. Case No 10317/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Surjana Sand Deposit in an area of 3.50 ha. (2350 cum per year) (Khasra No. 1 & 279) , Village- Surjana, Tehsil- Sonkatch, District-Dewas (MP)

सिया की 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 को प्रकरण के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा सिया कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास द्वारा पत्र दिनांक 25/11/2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता को मौका स्थल पर दिनांक 30/11/2023 को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने हेतु कहा गया यह कि नियत दिनांक को मैं उपस्थित रहा तत्समय उपस्थित पुलिस के सदस्य द्वारा मेरे से जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिये गये। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से लीगल नोटिस दिनांक 05/01/2024 को प्रेषित किया गया है।

**प्रकरण का परीक्षण**

प्रकरण को समिति की पूर्व 705 वीं बैठक दिनांक 27/12/23 को तकनीकी बिन्दु पर परीक्षण कर अनुशंसित किया गया था ।

**726वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 21 फरवरी 2024**

सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।

11. **Case No 10644/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.) Prior Environment Clearance for Bakud Sand Mine in an area of 0.50 ha. (3600 cum per year) (Khasra No. 35), Village-Bakud, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP).**

सिया की 829 वीं बैठक दिनांक 09/02/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया है:-

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अशांक्ष व देशांस के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर एक पक्का मेजर रोड ब्रिज परिलक्षित है अतः भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी SSMG 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 में दिये गये प्रावधान "sand and gravel shall not extracted upto a distance of 01 KM from major highways on both sides or .....down-stream side अनुसार पक्के मेजर रोड में से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये।*

**प्रकरण का परीक्षण**

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 21/02/24 को रखा गया । समिति ने पाया कि उक्त प्रकरण को सेक की 710 वीं बैठक दिनांक 05/01/24 में उक्त प्रकरण को अनुशांसित किया गया था,

परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल खण्डेलवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार/अधिकृत प्रतिनिधि श्री रूद्र प्रताप सिंह मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. द्वारा प्रस्तुत किया गया और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति ने परीक्षण दौरान पाया कि कार्यालय परियोजना महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.रा.वि. प्राधिकारण का पत्र क्रमांक 2187 दिनांक 03/11/2023 खदान में स्थित रोड ब्रिज के संबंध में उल्लेख किया गया है कि पाथाखेडा से बाकुड मार्ग में BOX Culvert एवं बाकुड से दुल्हारा, मार्ग में पूल निर्मित है। उक्त स्वीकृत रेत खदान से रेत खनन किये जाने से विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। समिति ने पाया कि महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.रा.वि. प्राधिकारण द्वारा कोई भी दूरी का उल्लेख न करते हुये अनापत्ति दी है, अतः

726वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 21 फरवरी 2024

समिति का निर्णय है कि सेंड गार्ड माईनिंग रूल के अनुसार दूरी छोड़ते हुये प्रकरण की अनुशंसा की जाती है।

अतः समिति कि कार्यालय परियोजना महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.रा.वि. प्राधिकारण द्वारा दिये गये अभिमत पर सहमति व्यक्त की जाती है अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 710 वीं बैठक दिनांक 05/01/24 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

12. Case No 10324/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Bhanjakhedi-1 Sand Deposit in an area of 0.82 ha. (8200 cum per year) (Khasra No. 76), Village-Bhanjakhedi-1, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)

सिया की 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 को प्रकरण के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा सिया कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास द्वारा पत्र दिनांक 25/11/2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता को मौका स्थल पर दिनांक 30/11/2023 को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने हेतु कहा गया यह कि नियत दिनांक को मैं उपस्थित रहा तत्समय उपस्थित पुलिस के सदस्य द्वारा मेरे से जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिये गये। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से लीगल नोटिस दिनांक 05/01/2024 को प्रेषित किया गया है।

प्रकरण का परीक्षण

प्रकरण को समिति की पूर्व 705 वीं बैठक दिनांक 27/12/23 को तकनीकी बिन्दु पर परीक्षण कर अनुशंसित किया गया था।

सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।

13. Case No 10412/2023 Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL OIC MPSMCL (प्रबंधक संभागीय कार्यालय भोपाल ( 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Lachayara Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (6000 cum per year) (Khasra No. 03), Village Lachayara, Tehsil Shamshabad,, District-Vidisha (MP)

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
  - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
  - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
  - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
  - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
  - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
  - Verifiable proof of CER
16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

तदानुसार ADS जारी किया जावे।

**22. Case No 10316/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Gajanpur-4 Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (36,000 cum per year) (Khasra No. 55), Village- Gajanpur-4, Tehsil- Khategaon, District- Dewas (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक मे परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थी:-

- समिति ने परिक्षण के दौरान यह पाया कि यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जिसका भाग पानी डूबा हुआ है एवं 619 मी. पर पूर्व दिशा में पक्का रोड ब्रिज है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पृष्ठ क्रमांक 22 के पैरा-h अनुसार मेजर रोड ब्रिज तथा हाईवे के विषय में **दोनों** तरफ कितनी दूरी तक सैंड माईनिंग नहीं की जा सकती

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

के संबंध में विकल्प दिये गये है "नदी के दोनो तरफ 1 कि.मी. ब्रिज की चौड़ाई के अनुसार तथा न्यूनतम दूरी का मापदंड 250 मी. अप स्टीम एवं 500 मी. डाउनस्ट्रीम में रखी गई है"।

- समिति द्वारा सुक्ष्मता से परीक्षण किया गया, अतः उत्खनन की स्वीकृति के लिये यह देखना होगा कि विगत 03 वर्षों में कितना रेत खनन किया है, उसकी मात्रा की पुष्टि जिले खनिज अधिकारी से प्राप्त कि जावें। इस प्रकरण में रोड ब्रिज 01 कि.मी से कम दूरी पर है। अतः खदान प्रचलन की निरंतरता तथा रोड ब्रिज की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त किया जावें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जो समिति के समक्ष समीक्षा हेतु आज दिनांक 12/10/23 को प्रस्तुत किया। जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

- अ. प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने यह पाया कि इस खदान को पूर्व में सिया द्वारा पत्र क्रमांक 5104 दिनांक 12.03.2020 ( सिया के प्रकरण क्रमांक 6930/2020) के माध्यम से 60,000 घनमीटर उत्पादन क्षमता हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- ब. उल्लेखनीय है कि लीज क्षेत्र से पूर्व दिशा में लगभग 612 मीटर दूर स्थित रोड ब्रिज की सुरक्षा की दृष्टि से कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग – उज्जैन का मत चाहा गया था। इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 दिनांक 03/10/2023 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग का पत्र क्रमांक 2701 दिनांक 10/10/2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग – उज्जैन ने मत दिया है, कि नर्मदा नदी पर निर्मित नेमावर हाण्डिया ब्रिज की सुरक्षा की दृष्टि से खदान के संचालन हेतु अप-स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी रखी जाना आवश्यक है। तदानुसार 500 मी. की दूरी छोड़ने के बाद भी प्रस्तावित 2 हे. क्षेत्र खनन योग्य है। डी.एस.आर के अनुसार 36,000 घन मीटर की उपलब्धता बताई गई है।
- स. विगत 03 वर्षों में रेत खनन निम्नानुसार बताया गया है वर्ष 2020-21 में 30171 घनमीटर, वर्ष 2021-22 में 29999.33 घनमीटर एवं वर्ष 2022-23 में 35999 घनमीटर।
- द. गूगल इमेज से अवलोकित होता है, कि लीज क्षेत्र के एक भाग में पर्याप्त मात्रा में रेत है।
- ई. उल्लेखनीय है, कि सिया के पत्र क्र०. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (गजनपुर – 4) के संबंध में शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र से 600 मी. दूर एन.एच. रोड ब्रिज स्थित है, इस कारण से रेत खनन संभव नहीं है तथा नदी को हानि पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग( सेतु निर्माण संभाग-उज्जैन के पत्र क्रमांक 2701 दिनांक 10/10/2023 में प्रस्तुत किये गये मत अनुसार नर्मदा नदी पर निर्मित नेमावर हाण्डिया ब्रिज

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

की सुरक्षा की दृष्टि से खदान के संचालन हेतु अप-स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी रखी जाना आवश्यक है।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओ एवं पर्यावरणीय पहलुओ को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित उत्पादन मात्रा 36,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत खनन किया जा सकता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 01.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.57 लाख प्रति वर्ष।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, गाजनपुर के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी।	40,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ ( दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा )	1554
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(	314
		6पंक्ति -करंज, जामुन, कहवा, एगेव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ) दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा )	132

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

	ग्राम गाजनपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, करंज, अर्जुन, मुनगा, एगोव, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, जामुन, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।</p> <p>परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**23. Case No 10323/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Gajanpur-5 Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (36000 cum per year) (Khasra No. 55), Village-Gajanpur-5, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक में परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थी:—

समिति ने परिक्षण के दौरान यह पाया कि यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जिसका भाग पानी डूबा हुआ है एवं 750 मी. पर पूर्व दिशा में पक्का रोड ब्रिज है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पृष्ठ क्रमांक 22 के पैरा-h अनुसार मेजर रोड ब्रिज तथा हाईवे के विषय में दोनो तरफ कितनी दूरी तक सेंड माईन नहीं रखी जा सकती के संबंध में विकल्प दिये गये है "नदी के दोनो तरफ 1 कि.मी., ब्रिज की चौड़ाई के अनुसार तथा न्यूनतम दूरी का मापदंड 250 मी. अप स्ट्रीम एवं 500 मी. डाउनस्ट्रीम में रखी गई है"।

समिति द्वारा सुक्षमता से परीक्षणकिया गया, अतः उत्खनन की स्वीकृति के लिये यह देखना होगा कि विगत 03 वर्षों में कितना रेत खनन किया है, उसकी मात्रा की पुष्टि जिले खनिज अधिकारी से प्राप्त

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

कि जावें। इस प्रकरण में रोड ब्रिज 01 कि.मी से कम दूरी पर है। अतः खदान प्रचलन की निरंतरता तथा रोड ब्रिज की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त किया जावें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जो समिति की आज दिनांक 12/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि लीज क्षेत्र से पूर्व दिशा में लगभग 750 मीटर दूर स्थित रोड ब्रिज की सुरक्षा की दृष्टि से कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग का मत चाहा गया था। इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 दिनांक 03/10/2023 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग का पत्र क्रमांक 2701 दिनांक 10/10/2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ने मत दिया है कि नर्मदा नदी पर निर्मित नेमावर हाण्डिया ब्रिज की सुरक्षा की दृष्टि से खदान के संचालन हेतु अप-स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी रखी जाना आवश्यक है।

- सिया के पत्र क्र०. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (गजनपुर - 5) के संबंध में शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र से 750 मी. दूर एन.एच. रोड ब्रिज स्थित है, इस कारण से रेत खनन संभव नहीं है तथा नदी को हानि पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण संभाग-उज्जैन के पत्र क्रमांक 2701 दिनांक 10/10/2023 में प्रस्तुत किये गये मत अनुसार नर्मदा नदी पर निर्मित नेमावर हाण्डिया ब्रिज की सुरक्षा की दृष्टि से खदान के संचालन हेतु अप-स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी रखी जाना आवश्यक है।
- उल्लेखनीय है, विगत 03 वर्षों में रेत खनन निम्नानुसार बताया गया है वर्ष 2020-21 में 21,235 घनमीटर, वर्ष 2021-22 में 11,399.93 घनमीटर एवं वर्ष 2022-23 में 11,400 घनमीटर।
- पूर्व में सिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 3010/2015 दिनांक 27/04/2016 के माध्यम से 11400 घनमीटर उत्पादन क्षमता हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- गूगल इमेज मई 2021 का अवलोकन किया गया, जिसमें उपलब्ध क्षेत्र 0.3 हे. पाया गया। डी. एस.आर. के अनुसार उपलब्ध मात्रा 9,000 घनमीटर पाई जाती है।

पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (मात्रा 11400 घनमीटर), जल भराव क्षेत्र तथा ब्रिज की दूरी को ध्यान में रखते हुए मात्र 9,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु निम्नानुसार पर्यावरण स्वीकृति दिया जाना अनुसंधित है।

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 01.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.57 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, गाजनपुर के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	40,000

- निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ ( दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा )	1554
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(	314
		6पंक्ति -करंज, जामुन, कहवा, एगोव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ) दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा )	132
	ग्राम गाजनपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, करंज, अर्जुन, मुनगा, एगोव, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, जामुन, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**24. Case No 10293/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Jalerya Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (7088 cum per year) (Khasra No. 1, 39, 40), Village-Jalerya, Tehsil-Sonkatch, District-Dewas (MP).**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। बैठक में परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थी:—

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर एकल प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है, जबकि प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न गूगल ईमेज एवं खनिज अधिकारी के कथन के अनुसार प्रस्तावित खदान काली सिंध नदी पर प्रस्तावित है। अतः इस संबंध में समिति ने परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:—

- प्रस्तावित खदान किस नदी काली सिंध /नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है ?
- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षों के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षों की रेत की उपलब्धता तथा मई-जून की थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जो समिति की आज दिनांक 12/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ० शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

- पत्र में खनिज अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रस्तावित खदान कालीसिंध नदी तहसील सोनकच्छ के अंतर्गत प्रस्तावित है। खनिज योजना तथा पूर्व में जारी डिया से पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है एवं मई-जून की स्थिति में खनिज रेत उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन निर्धारण पत्र संलग्न किया है।
- डिया का केस नं. 211/2018 दिनांक 14/08/2018 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति मात्रा 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष जारी की गई।
- सिया के पत्र क्र. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (जलेरिया रेत खदान) के संबंध में शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र 12 महीने नदी में सबमर्ज रहती है। अतः इस खदान से रेत खनन का कार्य संभव नहीं है व नदी को हानि हो सकती है परन्तु गूगल टाईम लाईन इमेज (माह- फरवरी 2019, अप्रैल 2021, मई 2021, अप्रैल 2022) में नदी सुखी पाई गई। अतः शिकायत सही प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु निम्न शर्तों के साथ पर्यावरण स्वीकृति दिया जाना अनुसंधित है:-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 01.97 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.42 लाख प्रति वर्ष।
2. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.11 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, जलेरिया के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी।	11,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	2499

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

	5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(	506
	6पंक्ति -करंज, जामुन, कहवा, एगेव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ) दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा )	211
ग्राम जलेरिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, करंज, अर्जुन, मुनगा, एगेव, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, जामुन, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1584
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।</p> <p>परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।</p>		

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**25. Case No 10295/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Melpipliya Sand Mine in an area of 4.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 105), Village- Melpipalva, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक में परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थी:—

समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षों के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षों की रेत की उपलब्धता तथा मई-जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जो समिति की आज दिनांक 12/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ० शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- पत्र में खनिज अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया कि डी.एस.आर में विगत 3 वर्षों में रेत खनन की जानकारी के संबंध में लेख है कि खनन योजना के अनुसार 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है, जो उनके अनुसार मई-जून की स्थिति में पानी कम होने पर उत्पादन योग्य है।
- मई-जून की स्थिति में खनिज रेत उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन के संबंध में निर्धारण पत्रक संलग्न किया है, जिसके अनुसार विगत 3 वर्षों में यहां से कोई खनन की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी।
- गूगल इमेज के अवलोकन पर खनन क्षेत्र जलमग्न पाया गया अतः इस खदान से रेत खनन संभव नहीं है।
- सिया के पत्र क्र०. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (मेलपिपल्या) के संबंध में शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र 12 महीने नदी में सबमर्ज रहती है। अतः इस खदान से रेत खनन का कार्य संभव नहीं है व नदी को हानि हो सकती है परन्तु गूगल टाईम लाईन इमेज में लीज क्षेत्र जलमग्न पाया गया अतः शिकायत सही प्रतीत होती है।

अनुशंसा- नदी सूखी होने के संबंध में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रेत उपलब्धता के संबंध में विश्वस्नीय प्रमाणों के अभाव में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता है। अतः जिला खनिज अधिकारी रेत उपलब्धता के विषय में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ तकनीकी रिपोर्ट सेक को प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा।

26. Case No 10294/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Pipalneriya Sand Mine in an area of 5.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 221), Village-Pipalneriya, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक में परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थी:- समिति ने परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षों के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षों की रेत की उपलब्धता तथा मई-जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जो समिति की आज दिनांक 12/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- पत्र में खनिज अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया कि विगत 3 वर्षों में रेत खनन की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में मात्रा 40,217 घनमीटर, वर्ष 2021-22 में मात्रा 59782.99 घनमीटर एवं वर्ष 2022-23 में मात्रा 50,000 घनमीटर है। मई-जून की स्थिति में खनिज रेत उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन के संबंध में निर्धारण पत्रक संलग्न है। सिया का प्रकरण क्र. 7693/2020 दिनांक 22/10/2020 से पूर्व पर्यावरण अनुमति मात्रा प्रतिवर्ष 50,000 घनमीटर रेत की जारी की गई थी।
- सिया के पत्र क्र. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (Pipalneriya) के संबंध में शिकायत की गई है, कि डी.एस.आर. रिपोर्ट में आंक्षास-देंशांश की जानकारी त्रुटि पूर्ण है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत आंक्षास-देंशांश की जानकारी में त्रुटि पाई। अतः यह निर्णय लिया कि खदान क्षेत्र के वास्तविक आंक्षास-देंशांश ज्ञात कर मार्निंग प्लान में आवश्यक संशोधन एवं अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत करें एवं उसी क्रम में डी.एस.आर. में भी आवश्यक संशोधन कर डी.एस.आर. को जिला समिति से अनुमोदन पश्चात् प्रस्तुत किया जावे।

**27. Case No 10317/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for**

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

**Surjana Sand Deposit in an area of 3.50 ha. (2350 cum per year) (Khasra No. 1 & 279) , Village- Surjana, Tehsil- Sonkatch, District-Dewas (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक में परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थी:-  
प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में दिखाई गई प्रश्नाधीन खदान कि के.एम.एल ईमेज गजनपुर-4 की के.एम.एल ईमेज के उपर ओवरलेप हो रही हैं । अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओ पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- खदान की खनिज अधिकारी से प्रमाणित गूगल ईमेज प्रस्तुत करें।
- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षों के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षों की रेत की उपलब्धता तथा मई-जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा प्रमाणित गूगल ईमेज की प्रति संलग्न की है एवं अवगत कराया कि खनन योजना के अनुसार 2350 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है, जो मई-जून की स्थिति खनिज रेत के उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन निर्धारण पत्रक संलग्न है। डिया का केस नं. 212/2018 दिनांक 14/08/2018 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति मात्रा 2350 घनमीटर प्रतिवर्ष जारी की गई। समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि गूगल इमेज के आधार पर 106 मीटर लम्बी जल संरचना है। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 1.0 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गार्डलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। परन्तु समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि डिया का केस नं. 212/2018 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति मात्रा 2350 घनमीटर प्रतिवर्ष जारी की गई थी किंतु विगत 3 वर्षों में उत्पादन निरंक है।

- सिया के पत्र क्र0. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (सुरजाना) के संबंध में शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र 12 महीने नदी में सबमर्ज रहती है। अतः इस खदान से रेत खनन का कार्य संभव नहीं है व नदी को हानि हो सकती है।
- गूगल टाईम लाईन इमेज के अवलोकन से लीज क्षेत्र के कई हिस्सों में रेत उपलब्ध रहती है अतः शिकायत सही प्रतीत नहीं होती है।

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

**28. Case No 10324/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Bhanjakhedi-1 Sand Deposit in an area of 0.82 ha. (8200 cum per year) (Khasra No. 76), Village-Bhanjakhedi-1, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। बैठक में परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थी:-

समिति ने परियोजना प्रस्तावक ने निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षों के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षों की रेत की उपलब्धता तथा मई-जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जो समिति की आज दिनांक 12/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्डवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

- इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि विगत 3 वर्षों में रेत खनन म.प्र. राज्य खनिज निगम, भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में मात्रा 0.1 घनमीटर, वर्ष 2021-22 में मात्रा 16400 घनमीटर एवं वर्ष 2022-23 में मात्रा 0 घनमीटर है। मई-जून की स्थिति में खनिज रेत उत्पादन का आंकलन निर्धारण पत्रक संलग्न है।

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

- योजना के अनुसार 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है, जो मई-जून की स्थिति खनिज रेत के उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन निर्धारण पत्रक संलग्न है। डिया का केस नं. 7691/2020 दिनांक 22/10/2020 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति मात्रा 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष जारी की गई।
- गूगल इमेज अवलोकन पर खनन क्षेत्र जलमग्न पाया गया है अतः रेत खनन संभव नहीं है।
- सिया के पत्र क्र0. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (भांजाखेडी-1) के संबंध में शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र 12 महीने नदी में सबमर्ज रहती है। अतः इस खदान से रेत खनन का कार्य संभव नहीं है व नदी को हानि हो सकती है परन्तु गूगल टाईम लाईन इमेज में लीज क्षेत्र जलमग्न पाया गया। अतः शिकायत सही प्रतीत होती है।

अतः स्पष्ट है कि इस बात का निर्धारण किया जाना कि मई-जून में खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध होगा ऐसी स्थिति में अनुशांसा नहीं की जा सकती। अतः जिला खनिज अधिकारी रेत उपलब्धता के विषय में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ तकनीकी रिपोर्ट सेक को प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा।

**29. Case No 10322/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Bhanjakhedi-2 Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (25000 cum per year) (Khasra No. 76), Village-Bhanjakhedi-2, Tehsil-Khategaon, District-Dewas (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। बैठक में परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थी:-

- डी.एस.आर में विगत 03 वर्षों के रेत उत्पादन को नहीं दर्शाया गया है, तथा गूगल ईमेज अनुसार मांग अनुरूप मात्रा का स्पष्ट निर्धारण किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः खनिज अधिकारी विगत 03 वर्षों की रेत की उपलब्धता तथा मई-जून की स्थिति में रेत की उपलब्धता का आंकलन करते हुये मांग का निर्धारण किया जाकर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जो समिति की आज दिनांक 12/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खान्दवेकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ० शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री राजकुमार मराठे, प्रभारी खनिज अधिकारी, देवास समिति के समक्ष भी उपस्थित रहे।

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

इस संबंध में खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1942 एवं पत्र क्र. 1940 दिनांक 03/10/2023 एवं 12/10/2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- उपरोक्त संबंध में खनिज अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि खनन योजना के अनुसार 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है, जो मई-जून की स्थिति खनिज रेत के उत्पादन व सम्भावित मांग का आंकलन निर्धारण पत्रक संलग्न है। डिया का केस नं. 7691/2020 दिनांक 22/10/2020 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति मात्रा 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष जारी की गई।
- सिया के पत्र क्र. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से देवास जिले की रेत खदानों के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई है। इस खदान (भांजाखेडी-2) के संबंध में शिकायत की गई है, कि खदान क्षेत्र 12 महीने नदी में सबमर्ज रहती है। अतः इस खदान से रेत खनन का कार्य संभव नहीं है व नदी को हानि हो सकती है।
- विगत 03 वर्षों में उत्पादन निरंक दर्शाया गया है। गूगल इमेज के आधार पर लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र जल मग्न देखा गया। अतः 4.0 हे. में से मात्र 1.81 हे. ही खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध है। अतः प्रस्तावित खनन मात्रा 25,000 घनमीटर / वर्ष का उत्खनन किया जा सकता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.06 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.55 लाख प्रति वर्ष।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय, भांजाखेडी के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी।	30,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

**688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 12 अक्टूबर 2023**

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(	3-1पंक्ति – खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ ( दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा )	2499
		5-4पंक्ति –कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(	506
		6पंक्ति –करंज, जामुन, कहवा, एगोव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानी प्रजातियाँ) दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा	211
	ग्राम भांजाखेड़ी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, करंज, अर्जुन, मुनगा, एगोव, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, जामुन, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1584
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।</p> <p>परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 12 अक्टूबर 2023

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

केस नं. 10317/2023 के संबंध में शुद्धि पत्र।

परियोजना प्रस्तावक ने बैठक के दौरान सूचित किया है कि उनका प्रकरण जो कि एसईएसी की 677वीं बैठक दिनांक 12/09/2023 को प्रस्तुत हुआ था, प्रकरण (Case No 10317/2023) के हैडिंग में त्रुटिवश खदान के विवरण में Gajanpur-4 टंकित हो गया है, जबकि खदान के सही विवरण में Surjana टंकित किया जाना था। उपरोक्त के अनुसार परियोजना प्रस्तावक ने त्रुटि सुधार करने का अनुरोध किया। समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया और पाया कि लिपिकीय त्रुटिवश गलत टंकित हो गया है। अतः समिति अपनी 677वीं बैठक दिनांक 12/09/2023 में खदान का विवरण निम्नानुसार पढ़े जाने की अनुशंसा करती है, शेष विवरण यथावत रहेंगी। अतः –

Case No 10317/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Gajanpur-4 Sand Deposit in an area of 3.50 ha. (2350 cum per year) (Khasra No. 1 & 279 ), Village- Surjana, Tehsil- Sonkatch, District-Dewas (MP)

को निम्नानुसार पढ़ा जावे

Case No 10317/2023 Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Surjana Sand Deposit in an area of 3.50 ha. (2350 cum per year) (Khasra No. 1 & 279) , Village- Surjana, Tehsil- Sonkatch, District-Dewas (MP).

रेत खनन के प्रकरणों में ईसी की पूर्व एवं वर्तमान शर्तों के क्रियान्वयन एवं पालन पर अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे रेत खनन प्रकरणों में जिनमें राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित की गई है, उन सभी प्रकरणों में निम्नानुसार विशिष्ट शर्त अधिरोपित की जाये:-

- विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी. सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

688वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 12 अक्टूबर 2023

- As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
- **In case of the sand mine cases, the committee is of the opinion that:**

The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District Mining Office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.

  1. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
  2. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
  3. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
  4. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Monitoring Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
  5. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
  6. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
  7. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carried out every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
  8. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

(चंद्र मोहन ठाकुर)  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 816वीं बैठक दिनांक 09.11.2023  
का कार्यवाही विवरण

35. प्रकरण क्र. 10316/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 36000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 55, ग्राम गाजनपुर-4, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वीं बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खदान को प्राधिकरण की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023 में निरस्त किया जा चुका है।


प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि "परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 600 मीटर पर एक मेजर ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्राधिकरण की पूर्व 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023 में लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण को पुनः निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


36. प्रकरण क्र. 10323/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 36000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 55, ग्राम गाजनपुर-5, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वीं बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त खदान को प्राधिकरण की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023 में निरस्त किया जा चुका है।

प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि "परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार

  
(मुजीबुरहमान खान)  
सदस्य सचिव

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

खदान क्षेत्र के 750 मीटर पर एक मेजर ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्राधिकरण की पूर्व 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023 में लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण को पुनः निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

37. प्रकरण क्र. 10293/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 39, 40, ग्राम जलेरिया, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वीं बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण में श्री प्रमोद यादव, हाउस नम्बर 10, खातेगांव देवास द्वारा पत्र दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से शिकायत की गई है कि "उक्त रेत खदान 12 माह नदी में जलमग्न रहती है जिससे रेत का उत्खनन करना संभव नहीं है तथा रेत भी अच्छी प्रकार की नहीं है इत्यादि"। अतः शिकायत की प्रति भेजते हुए उक्त शिकायत के संबंध में कलेक्टर देवास से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये साथ ही रेत की उपलब्धता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से मानसून पश्चात् (इसी वर्ष) की वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

38. प्रकरण क्र. 10322/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 76, ग्राम भांजाखेड़ी-2, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 688वीं बैठक दिनांक 12.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।



(मुजीबुर्हमान खान)  
सदस्य सचिव



(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण में श्री प्रमोद यादव, हाउस नम्बर 10, खातेगांव देवास द्वारा पत्र दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से शिकायत की गई है कि "उक्त रेत खदान 12 माह नदी में जलमग्न रहती है जिससे रेत का उत्खनन करना संभव नहीं है तथा रेत भी अच्छी प्रकार की नहीं है इत्यादि"। अतः शिकायत की प्रति भेजते हुए उक्त शिकायत के संबंध में कलेक्टर देवास से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये साथ ही रेत की उपलब्धता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से मानसून पश्चात् (इसी वर्ष) की वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण **Delist** किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

39. प्रकरण क्र. 10505/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 57114 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.173 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 64, ग्राम लोढ़ी, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 689वीं बैठक 13.10.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

".....प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तावित रेत खदान के 500 मीटर की सीमा के अंतर्गत अन्य प्रस्तावित रेत खदान होने से कुल रकबा 5 हे. से अधिक होने के कारण क्लस्टर की स्थिति निर्मित हो गयी है, जिससे विषयांकित रेत खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति बी-2 में प्राप्त होना सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित खदान को बी-1 कैटेगिरी में नवीन प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में निर्णय लेते हुए परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी के प्रस्ताव को मान्य किया एवं प्रकरण बी-1 कैटेगिरी में सिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की अनुशंसा की जाती है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEIAA की 689वीं बैठक दिनांक 13.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

40. प्रकरण क्र. 10494/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चंदेल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2100 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 449, ग्राम जटामा, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 689वीं बैठक दिनांक 13.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 689वीं बैठक दिनांक 13.10.2023 की अनुशंसा को मान्य

  
(मुजीबुरहमान खान)  
सदस्य सचिव

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

## जिला देवास की रेत खदानों की लोक सुनवाई की सूची

क्र.	जिला	खारसील का नाम	का ग्राम	सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	
1	देवास	खारसील	देबयत	227	6.00
2	देवास	खारसील	कुण्डगाव-1	153	4.00
3	देवास	खारसील	कुण्डगाव-2	153	2.00
4	देवास	खारसील	कुण्डगाव-3	153	2.00
5	देवास	खारसील	कुण्डगाव-4	153	2.00
6	देवास	खारसील	बिजलगाव-1	441	2.00
7	देवास	खारसील	बिजलगाव-2	441	7.00
8	देवास	खारसील	करोदगाड़ी	309	6.00
9	देवास	खारसील	चिचली-1	430	20.00
10	देवास	खारसील	चिचली-2	430	10.00
11	देवास	खारसील	नेमावर-2	527	0.418
12	देवास	खारसील	नेमावर-4	527	3.784
13	देवास	खारसील	नेमावर-5	527	3.784
14	देवास	खारसील	खलारा	164	10.00
15	देवास	सोनकच्छ	रीरपाडल्या	1.58	6.700
16	देवास	सोनकच्छ	पताडियाताल	1	4.00
17	देवास	सोनकच्छ	कालुखेडी	6.224 एर 271.	9.220
18	देवास	टोंकबुंद	जीवाजीगढ	1117	4.00
19	देवास	टोंकबुंद	बीबाटाधिरा-3	1982	4.00
20	देवास	टोंकबुंद	बीबाटाधिरा-4	1982 2087	4.990

S.No.	Environmental issues	Reply
1.	How the MP State Mining Corporation floated tenders for these 28 Sand Mines which are submerged in water throughout the year?	विगत 20 वर्षों से माइनिंग कारपोरेशन म.प्र. राज्य खनिज निगम भोपाल के द्वारा नीलामी में रेत खदानों का आवंटन किया जाता आ रहा है। जिराके परिपेक्ष्य में वर्ष 2023-24 में भी रेत खदानों का टेंडर विधिवत जारी किया गया। यह कहना सही नहीं है कि वर्ष भर रेत खदाने डूबी रहती है वर्षा ऋतु में रेत खदानों का आंशिक भाग में पानी भरा रहता है।
2.	Weather MP State Mining Corporation and the District administration of Dewas promoting illegal excavation of sand by way of unauthorized in-stream mining, as with the situation, the contractor appointed cannot legally procure even a single cubic meter of sand from the allocated Mining leases ?	यह कहना सही नहीं है कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिले में अवैध उत्खनन / परिवहन करने वाले पर नियमानुसार कार्यवाही कि गई है। in-stream mining नहीं की जा रही है। इ.सी. प्राप्त नहीं होने से खदाने पूर्णत बंद है।
3.	Did the contractor actually carried out the spot verification before bidding for these 28 sand Mining Leases in the District of Dewas ?	कारपोरेशन म.प्र. राज्य खनिज निगम भोपाल के द्वारा विधिवत रेत खदानों की नीलामी हेतु विज्ञप्ति जारी की जाती है। जिसमें ठेकेदार को रेत खदान के संबंध में रेत खदानों की जानकारी से अवगत कराया जाता है।
4.	Were the Non-applicants not aware of the fact that in-stream mining lowers the stream bottom, which may lead to bank erosion and depletion of the sand in the streambed which causes the deepening of rivers and estuaries, and leads to the enlargement of river mouths ?	बिंदु क्रमांक 02 के परिपेक्ष्य में in-stream mining पूर्णतः बंद है, बंद होने होने से नदी के किनारों पर उत्खनन नहीं होता है। अतः नदी के किनारों पर erosion होने का प्रश्न नहीं होता है। नदी का पाठ (river mouths) प्राकृतिक रूप से यथावत है।
5.	Has the District Survey Report of Dewas been prepared after conducting actual surveys or is it prepared just as a formality being an eyewash ?	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तकनीकी एक्सपर्ट टीम द्वारा आकड़े एकत्रित कर बनाई गई है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्य क्रियान्वयन किया जाता है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट RQP द्वारा बनाई गई खनन योजना के आधार पर क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय खनिकर्म इंदौर द्वारा सत्यापित की जाती है तत्पश्चात DSR में संलग्न कि जाती है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट नियमानुसार सही है। वास्तविक सर्वेक्षण किया गया है।
6.	Can MPSEIAA consider the applications for Environmental Clearance of these 28 Mining Leases without analysing the actual position of these Mining Lease as these areas are submerged in water through the year ?	यह कहना सही नहीं है कि सभी 28 रेत खदाने वर्ष भर पानी में डूबी रहती है।
7.	Is there an utter violation of Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 in the instant case ?	नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विधिवत नियमानुसार कार्यवाही कि जाती है।

नोट :- (1) देवास जिले में लगभग 20 वर्षों से रेत खदाने संचालित रही है। जिससे शासन को प्रतिवर्ष लगभग 40 से 45 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है।

(2) अवैध उत्खनन / परिवहन में वर्ष 2020-21 से आज दिनांक तक कुल दर्ज 1038 प्रकरणों में राशि रुपये 5,33,89,240/- अधिरोपित कर नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

  
खनि अधिकारी  
जिला देवास (म.प्र.)